

5

आर्थिक परिदृश्य

5.1 पृष्ठभूमि

5.1.1 आर्थिक आधार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विशेषता दिल्ली में तीव्र भौतिक और आर्थिक वृद्धि तथा और इसके बाहर के क्षेत्र का अल्प विकास है। यह अभाव की अपेक्षा प्रमुखतः संबंध की समस्या है, जिससे कि क्षेत्र का इकतरफा विकास हुआ है जहां पर परिधि के आर्थिक अधिशेष, जो कि प्रमुखतः ग्रामीण और कृषि आधारित हैं, का दोहन केन्द्र द्वारा किया जाता है और परिधि में जो भी विकास होता है वह मुख्यतः केन्द्र की बढ़ती आवश्यकताओं को दर्शाता है। दूसरी तरफ केन्द्र की आर्थिक शक्ति, परिधि के साथ भागीदार होने की अपेक्षा केन्द्र तक सीमित रहती है और केन्द्र के प्रति आकर्षण को और बढ़ाता रहता है। इस 'केन्द्र परिधि' संबंध ने दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊँचा उठाने में मदद की है जो कि (1999-2000 के आधार-मूल्य पर), अखिल भारतीय (15,562 रुपये) और पड़ोसी राज्यों हरियाणा (21,551 रुपये), राजस्थान (12,533 रुपये) और उत्तर प्रदेश (9,765 रुपये) की तुलना में दिल्ली में 36,515 रुपये है।

दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी और इसके सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु है। राजधानी शहर के नाते इसके विशिष्ट राजनैतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कर्तव्य हैं। एक सरकारी 'कानून और व्यवस्था' की कालोनी से एक कल्याणकारी राज्य की राजधानी बनने की हैसियत में परिवर्तन के कारण इस महानगर के कार्यों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अतिरिक्त आवश्यक कार्यों: विदेशी दूतावासों, अनुसंधान और सांस्कृतिक संगठनों और विदेशी दलों के साथ समन्वय करने में सरकारी कार्यों का तेजी से विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बचे भागों में, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में रोजगार मुख्यतः जिला शहरों अर्थात् उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर; हरियाणा उप-क्षेत्र में पानीपत, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुडगांव और फरीदाबाद तथा राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर में केन्द्रित रहा है। इन सेवाओं का स्तर जिला प्रशासन या अधिक से अधिक कुछ मण्डलीय प्रकार्यों तक सीमित होने के कारण निम्न होता है जो राजधानी द्वारा किए जा रहे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रकार्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीन दशकों से भी अधिक समय से औद्योगिक गतिविधियों का विकास होता रहा है जिसके दौरान पर्याप्त मात्रा में ढांचागत परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बड़ी सीमा तक, औद्योगिक विकास, 'माप घटक' से नापा जाता रहा है अर्थात्, इसे आसानी से बड़ी और मध्यम इकाईयों, लघु श्रेणी के उद्योगों और छोटी असंगठित इकाईयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एन.सी.टी.-दिल्ली के अंदर, जहां विनियमात्मक यंत्रावली ने बड़े/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को विकसित/अभिवर्द्धित नहीं होने दिया वहीं विनियमन की कमी और सशक्त बाजारी ताकतों ने मनमानी स्थिति को जन्म दिया जिसके परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में लघु और अत्यंत लघु उद्योगों की बाढ़ आ गयी, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े हिस्सों में, बड़े और मध्यम उद्योगों तथा लघु श्रेणी के उद्योगों की वृद्धि का श्रेय कुछ तो विनियामक तंत्र और अंशतः ऐतिहासिक तथा आकस्मिक घटकों को जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संगठित औद्योगिक क्षेत्र जिसमें बड़े व मध्यम और लघु श्रेणी के उद्योग शामिल हैं, की इकाईयों की संख्या में और विभिन्न उद्योगों के प्रसार के मायने में, दोनों में विकास हुआ है। इकाईयों की संख्या के

5

ECONOMIC ACTIVITY AND FISCAL POLICY

5.1 BACKGROUND

5.1.1 Economic Base

The National Capital Region is characterised by a surge of physical and economic growth of Delhi and underdevelopment of the area outside it. This is primarily a problem of relationship rather than a problem of scarcity, leading to a lop-sided development of the region, where part of the economic surplus of the periphery, which is primarily rural and agriculture based, is extracted by the core and whatever development takes place in the periphery mostly reflects the expanding need of the core. On the other hand the economic strength of the core, rather than being shared with the periphery, remains confined to the core itself and keeps on adding to the gravitation of the core. This 'Centre Periphery' relationship has helped to raise the income levels in Delhi with per capita income of Rs.36,515 (at 1999-2000 prices), as compared to the all India (Rs.15,562) and the surrounding States of Haryana (Rs.21,551), Rajasthan (Rs.12,533) and Uttar Pradesh (Rs.9,765).

Delhi, the Capital city of the nation is the focal point of its socio-economic and political life. There are functions-political, cultural and administrative-peculiar to a capital city. These functions have expanded very fast due to a change in status of this metropolis from an almost Government colonial 'law and order' city to that of the capital of a welfare state. The Government functions have expanded rapidly to cope with added essential functions: foreign embassies, research and cultural organisations and foreign missions. In the rest of NCR, the employment in government and semi-government services is mainly centralised in the district towns viz., Meerut, Baghpat, Bulandshahr, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar in U.P. Sub-region; Panipat, Rohtak, Sonapat, Jhajjar, Rewari, Gurgaon, Mewat and Faridabad in Haryana Sub-region and Alwar in Rajasthan Sub-region. The level of these services is much lower being limited to district administration or at best to some divisional functions, which have no comparison with the national/international functions being performed by the Capital.

Industrial activities in NCR have been developing over a span of more than three decades during which substantial structural changes have taken place. Industrial development in NCR, to a large extent, is characterised by the 'Scale Factor' i.e., developments could be easily characterised in terms of large and medium units, small scale industries and development in tiny unorganised units. Within NCT-Delhi, while regulatory mechanisms to a considerable extent did not allow expansion/growth of large/medium scale industries but the lack of regulation and powerful market forces created a laissez-faire situation resulting in mushrooming of small and tiny industries anywhere and everywhere in the unorganized sector, on the other hand in large parts of NCR excluding Delhi, the growth of large and medium industries and small scale industries could be ascribed partly to regulatory mechanisms and partly to historical and causal factors.

The organized industrial sector consisting of the large and medium units and SSI in NCR has developed both in terms of number of units as well as in terms of growth of different industries. In terms of number

लिहाज से, बिजली के उपकरण, वस्त्र उत्पाद, धातु और धातु उत्पाद, खाद्य उत्पाद, मरम्मत सेवाएं और कागज और प्रिंटिंग इकाईयों का सर्वाधिक प्रतिशत वितरण दिल्ली में है। हरियाणा उप-क्षेत्र में, इंजीनियरिंग सामानों का निर्माण जिसमें, धातु उत्पाद और उनके पुर्जे, मशीन टूल्स और विद्युत यंत्र इकाईयों का वितरण प्रतिशत सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में, विद्युत मशीनरी, धातु उत्पाद और उनके पुर्जे, रसायन और खाद्य उत्पाद प्रमुख हैं। राजस्थान उप-क्षेत्र में धातु उत्पाद और इनके पुर्जे, वस्त्र उत्पाद, रसायन, परिवहन उपकरण, अधातु खनिज उत्पाद और मूल धातु उत्पाद प्रमुख हैं।

वाणिज्य और व्यापार इस क्षेत्र के आर्थिक आधार के अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। वितरणात्मक व्यापार दिल्ली में शहर की आधारभूत गतिविधियों में से एक है और यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करता है। आजादी के बाद इस गतिविधि में कई गुना इजाफा हुआ है, क्योंकि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वितरण केंद्र लाहौर, पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया और पूरा उत्तर भारत केवल दिल्ली पर ही निर्भर रहने लगा। इसके अलावा, राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति की धुरी होने के कारण भी, दिल्ली प्रकार्यात्मक विशेषताओं जैसे बैंकिंग गतिविधियों, गोदाम, परिवहन और संचार सुविधाएं इत्यादि का केंद्र बन गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बचे हिस्सों में, से उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के बड़े बस्तियों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, खुर्जा और बुलंदशहर, हरियाणा उप-क्षेत्र में फरीदाबाद, पानीपत, रेवाड़ी, गुड़गांव, सोनीपत और रोहतक और राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर में वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित हुईं। फिर भी, संचालन के पैमाने पर, दिल्ली से इनकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ये सब एक जिले या उससे जुड़े कुछ क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं तक सीमित है, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन गतिविधियों को संचालित करता है।

5.1.2 बदलता परिदृश्य

क्षेत्रीय योजना-2001 और इस योजना की तैयारी के बीच के अन्तराल में, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के कारण औद्योगिक, व्यापारिक, राजकोषीय और वित्तीय नीतियों में परिवर्तन हुए जिससे देश के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया (देखें बॉक्स 5.1)। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को दोनों बड़ी चुनौती और अवसर मिले हैं। यह चुनौती इस तथ्य के कारण है, कि 1950 के दशक से पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू प्रतिस्पर्धा और उदार आयात, दोनों के संबंध में अविनियमित किया गया है। अवसर इस तथ्य के कारण है कि पिछले चार दशकों से, जहां उद्यम संबंधी निर्णय लाइसेंस और कोटा पर निर्भर करते हुए सरकार द्वारा लिया जाता रहा, अब वह कुल मिलाकर अविनियमित किया जा रहा है और निर्णय उद्यमियों और बाजारी शक्तियों द्वारा लिया जाने लगा है।

बॉक्स 5.1	
आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव	
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों अथवा गतिविधियों की संख्या में कमी।
ii)	केवल कुछ उद्योगों को छोड़ कर औद्योगिक अनुज्ञप्ति का निरस्त किया जाना।
iii)	लघु श्रेणी के उद्योगों संबंधी नयी नीति जिसमें लघु श्रेणी के उद्योगों को विदेशी प्रौद्योगिकी तक पहुंच की अनुमति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति।
iv)	उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वतः अनुमोदन।
v)	इस आशय की घोषणा कि भविष्य में विदेशी इक्विटी प्रस्तावों के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता अनिवार्य नहीं होगा।
vi)	विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) का गठन जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन करेगा।
vii)	विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते की सरलीकृत और आसान प्रक्रिया।
viii)	परिवर्तनीयता की शुरुआत।
ix)	कंपनियों पर पहले से लागू प्रतिबंधों को हटाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम में परिवर्तन।
x)	उत्पाद शुल्कों, केन्द्रीय उत्पाद करों को कम किया जाना और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध को हटाना।

of units, electrical machinery, textile products, metal and metal products, food products, repair services and paper and printing units show highest percentage distribution in Delhi. In Haryana Sub-region, units manufacturing engineering goods, consisting of metal products and parts, machine tools and electric machinery show highest percentage distribution. Electric machinery, metal products and parts, chemicals and food products constitute the major sectors in the U.P. Sub-region. In Rajasthan Sub-region, metal products and parts, textile products and transport equipment's along with chemicals, non-metallic mineral products and basic metal products constitute the major sectors.

Trade and commerce form another important component of the economic base of the region. Distributive trade is one of the basic activities in Delhi and this factor has been instrumental in large scale employment generation in both formal and informal sectors. This activity has grown manifold in the post-independence era when Lahore, the erstwhile centre for the distributive trade in North India, became a part of West Pakistan and the entire North India started depending exclusively on Delhi. Besides this, the functional specialization of Delhi, being the centre of political and administrative power, has also resulted in the concentration of banking activities, godowns, transport and communication facilities etc. In the rest of NCR, commercial activities are fairly developed in bigger towns like Meerut, Ghaziabad, Hapur, Khurja and Bulandshahr in U.P. Sub-region, Faridabad, Panipat, Rewari, Gurgaon, Sonapat and Rohtak in Haryana Sub-region and Alwar in Rajasthan Sub-region. However, again in terms of scale of operation, they are nowhere close to Delhi, since the former is limited to local needs within the district or a slightly larger area, while the later operate at national or even international levels.

5.1.2 Changing Scenario

In the intervening period, between the preparation of the Regional Plan-2001 and this Plan, the economic reforms undertaken by the Government of India affecting industrial, trade, fiscal and financial policy changes have brought about a considerable change in the economic scenario in the Country (refer Box 5.1). These changes have posed for the Indian economy both challenge and opportunities. The challenges consist in the fact that, for the first time since the 1950s, Indian economy has been deregulated both in respect of allowing domestic competition, and permitting liberal imports. The opportunities consist in the fact that entrepreneurial decision making, which for about four decades was a close preserve of the Government, dependent on licenses and quotas, now by and large being deregulated, rests with the entrepreneurs and market forces.

Box 5.1

MAJOR CHANGES IN THE ECONOMIC POLICY

- i) Reduction of the number of industries or activities reserved for the public sector.
- ii) The abolition of industrial licensing except for selected industries.
- iii) The new policy on small-scale industry allowing SSI units access to overseas technology and also permitting foreign equity investment.
- iv) Automatic approval to foreign direct investment in selected high priority industries.
- v) Announcement that foreign equity proposals need not necessarily be accompanied in future by foreign technology agreement.
- vi) The formation of a specially empowered Foreign Investment Promotions Board (FIPB) for negotiating with large international firms and approving direct foreign investment proposals.
- vii) Simpler and easier procedure for foreign technology agreement.
- viii) Introduction of convertibility.
- ix) Changes in the Foreign Exchange Regulation Act removing restrictions imposed earlier on companies.
- x) Lowering of customs duties, central excise duties and removal of blanket ban on imports.

वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रमुखतः निजी क्षेत्र के प्रयास पर निर्भर करती है, जिसमें वैश्विक सूचना नेटवर्क के विकास से सहायता मिली है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रोत्साहित करने की अथवा सुविधा उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों को नियंत्रक की भूमिका से निकाल कर सुविधा उपलब्ध कराने की नयी भूमिका में स्वयं को ढालने के लिए दीक्षित और प्रोत्साहित किया जाए।

नई औद्योगिक नीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति भारत सरकार के रवये में बदलाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है। सरकार ने हाल ही में एकीकृत नगर क्षेत्रों (टाउनशिप) के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई) को अनुमति देने का निर्णय लिया है और कुछ निश्चित दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे इन क्षेत्रों में योजना विनिमय के दायरे में शहरी अवसंरचना, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों व व्यापारिक केन्द्रों आदि का भी प्रावधान हो। अगर केन्द्र और राज्य सरकारें परियोजना की पहचान और विकास (बाक्स 5.2) में पहल करें तो विदेशी निवेश बेहतर तरीके से आकर्षित किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भाग लेने वाली सरकारें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सहायता से ऐसा एकीकृत विकास करने पर विचार कर सकती हैं।

भारतीय जो विदेशों में बस गए हैं, उन्होंने वहां अपनी जगह बनाई है, इज्जत कमायी है और वहाँ प्रचुर धन उनके नियंत्रण में है। इन आप्रवासी भारतीयों का सम्मान करके और अन्य विदेशी निवेश की अपेक्षा उनके द्वारा प्रायोजित विदेशी निवेशों को वरीयता देकर भारत में उच्च प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाना संभव है।

राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के सामान्य प्रदर्शन के अलावा, वे अन्य चीजें जो विदेशी निवेश और उनकी अवस्थिति में निर्णायक हो सकती हैं वे हैं भौतिक, आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता जो कि अच्छे परिवहन और संचार प्रणाली, विद्युत, सामाजिक अवसंरचना, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं इत्यादि के रूप में परिलक्षित होती हैं। इस संदर्भ में, ऐसे नगर क्षेत्रों/परिसरों के विकास से संबंधित प्रक्रियात्मक जटिलताएं जैसे, भूमि अधिग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली बोर्डों और अन्य निकायों से स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियात्मक जटिलताओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए एकल विंडो व्यवस्था शुरू किया जाना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया धीरे-धीरे राज्यों तक पहुंच रही है। प्रत्येक राज्य सरकार देश के अन्दर और बाहर से अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने की होड़ में है। पहले भी, राज्य सरकारें नये निवेशकों को राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया करती थी लेकिन अब भारी दबाव और सक्रिय विपणन का आलंबन भी लिया जाने लगा है। अब राज्य भी नयी औद्योगिक इकाईयां गठित करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं और अवसंरचना जैसे बिजली और सड़क निजी क्षेत्र के लिए खोल रहा है।

बाक्स 5.2

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दिशा-निर्देश

प्रमुख विशेषताएं

सरकार ने प्रेस नोट संख्या 4 (2001 श्रेणी) के जरिए एकीकृत नगर क्षेत्रों के विकास के लिए, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट (सैरगाह), शहर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे सड़कें व पुल, तीव्र जन पारगमन प्रणाली और निर्माण सामग्री का उत्पादन शामिल है। भूमि का विकास और तत्संबंधी अवसंरचना नगर क्षेत्रों के विकास का अभिन्न अंग होगा।

2. एकीकृत नगर क्षेत्रों के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा:

- i) जो विदेशी कंपनी निवेश करना चाहेगी, वह कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय कंपनी के तौर पर पंजीकृत की जाएगी और इसके पश्चात उसे एकीकृत नगर क्षेत्रों के विकास के एक भाग के रूप में भूमि के अधिग्रहण और इसके विकास की अनुमति दी जाएगी। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सिफारिश पर एफ.आई.पी.बी. द्वारा ऐसे सभी मामलों की जांच की जाएगी। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ऐसे सभी मामलों से निपटने के लिए एक विशेष कक्ष बनाएगा।
- ii) निवेश चाहने वाली कंपनी का मुख्य कार्य एकीकृत नगर क्षेत्रों के विकास का होना चाहिए और उसके पास किसी अन्य स्थान पर ऐसी परियोजनाओं के सफल कार्य का अंकन होना चाहिए।

The process of globalisation relies primarily on private sector initiative, aided by the evolution of the global information network. Central Government has a very important supportive or facilitating role in this connection. It is also necessary to inspire and motivate the State Governments and their agencies to help them transform themselves into a new role of facilitators rather than controllers.

Reversal of the Government of India's approach towards foreign direct and indirect investments has been the most marked reforms introduced in the new economic policy. Recently the Government decided to allow Foreign Direct Investment (FDI) and also issued certain guidelines for developing integrated townships, subject to planning regulations, with all facilities including urban infrastructure, universities, colleges, institutions and commercial centres etc. Foreign investment can be better achieved if the Central and State Governments play a pro-active role in project identification and development (refer Box 5.2). The participating State Governments of NCR could also consider such integrated development with the help of FDI.

The Indians, who are settled in foreign countries have already established their presence and reputation there. They own and control a substantial chunk of the wealth. It would therefore be possible to attract high technology and foreign investments into India by welcoming these Non-resident Indians, and place NRI-sponsored foreign investments on a higher pedestal than other foreign investments.

Besides general performance of the economy at the national level, the other broad considerations which would go towards facilitating foreign investment and deciding their locations would be the availability of physical, economic and social infrastructure in the form of good transport and communication system, power, social infrastructure, banking and financial services etc. In this context, various procedural complexities related to development of such townships/complexes viz., getting land, the procedural complexities in obtaining the permission of Pollution Control Boards, Electricity Boards and other bodies may have to be simplified and Single Window concept may have to be introduced.

In the industrial sector, the process of economic reforms is slowly percolating to the States. Every State Government is entering the race for attracting more investments from within and outside the country. Earlier too, the State Governments were providing fiscal incentives for new investment but now high pressure and active marketing are also being resorted to. The States are also reviewing their procedures for setting up new industrial units and are opening up infrastructure like power and roads to private sector.

Box 5.2

FDI GUIDELINES

Salient Features

Government vide Press Note No. 4 (2001 series) permitted FDI up to 100% for development of integrated townships, including housing, commercial premises, hotels, resorts, city and regional level urban infrastructure facilities such as roads and bridges, mass rapid transit systems and manufacture of building materials. Development of land and providing allied infrastructure will form an integrated part of township's development.

2. FDI in the development of integrated townships will be subject to the following guidelines:

- i) The Foreign Company intending to invest, shall be registered as an Indian Company under Companies Act 1956 and will henceforth be allowed to take up land assembly and its development as a part of Integrated Township Development. All such cases would be processed by FIPB on the recommendation of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation and other concerned Ministries/Departments. Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation will develop an exclusive cell to deal with such cases.
- ii) The core business of the Company seeking to make investment, should be integrated township development with a record of successful execution of such projects elsewhere.

- iii) ऐसी कंपनी द्वारा विकसित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कम से कम 100 एकड़ होना चाहिए जिसके लिए स्थानीय नियमों/उप-नियमों के अनुसार मानक और मानदण्ड होंगे। ऐसे किसी नियमों/उप-नियमों के न होने पर निवेशक द्वारा लगभग दस हजार की आबादी के लिए न्यूनतम दो हजार आवासीय इकाईयों के विकास की आवश्यकता होगी।
- iv) निवेश करने वाली विदेशी कंपनी को, उनका प्रस्ताव अनुमोदित होने पर, अपना लक्ष्य पूरा करना होगा।
 क) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश 10 मिलियन अमेरिकी डालर और भारतीय साझेदार के साथ संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डालर होगा। निधियां प्रत्यक्षतः सीधे लायी जाएगी।
 ख) न्यूनतम पूंजी निवेश के पूरा होने पर मूल निवेश के वर्धमान पर न्यूनतम तीन साल का प्रतिबंध होगा।
 ग) भूमि के प्रथम खण्ड का स्वामित्व प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अन्दर एकीकृत परियोजना विकास का न्यूनतम 50% कार्य अवश्य पूरा हो जाना चाहिए।
- तथापि, अगर निवेशक उसके नियंत्रण के बाहर के किन्हीं कारणों की वजह से पहले ही बाहर होना चाहता है, तो इसका निर्णय मामले दर मामले के आधार पर एफ.आई.पी.बी. द्वारा किया जाएगा।
- v) वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग के बारे में शर्तें, विकास प्रभार, बाध्य विकास प्रभार, महा योजना/उप-नियमों में निर्धारित प्रभार, प्रारूप और निर्माण योजना, अंदरूनी व परिधीय विकास प्रमुख सेवाओं सहित अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार इत्यादि प्रमुखतः निवेशक का उत्तरदायित्व होगा और उन पर स्थानीय निवेशकों वाले योजना मानक व मानदण्ड ही लागू होंगे। ऐसे किसी मानदण्ड व मानक के न होने पर हरेक राज्य अपनी निजी शर्तों का निर्धारण कर सकता है जिसके लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा परिचालित शहरी विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन दिशा-निर्देश सैद्धांतिक रूप से मार्गदर्शन करेंगे।
- vi) परिधीय सेवायें जैसे पुलिस स्टेशन, मिल्क बूथ इत्यादि के लिए साथ लगी हुयी जमीन सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/अभिकरण, जैसा भी मामला हो, को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- vii) सामुदायिक सेवाओं जैसे (i) स्कूल, (ii) शॉपिंग परिसर, (iii) सामुदायिक केन्द्र, (iv) राशन की दुकान, और (v) अस्पताल/औषधालय की जमीन विकास करने वाला रखेगा। इन सेवाओं का विकास निवेशक द्वारा किया जाएगा और घरों पर कब्जा होने के पहले इन सेवाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
- viii) निवेशक, खेल के मैदान, पार्क का उचित विकास करके इन्हें बिना किसी मूल्य के स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप देगा।
- ix) विकास करने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय विधियां/नियम अपने मानक व मानदण्ड पूर्ण रूप में लागू हैं।
- x) विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए, विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड उपरोक्त वर्णित किसी शर्त से मामला दर मामला आधार पर छूट दे सकता है। हालांकि, यह तब तक के लिए अनंतिम उपाय है, जब तक आवश्यकतानुसार इस पर आने वाले समय में उचित दिशा-निर्देश जारी न हों।

आर्थिक नीति में बदलाव, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया और सरकार का आकार कम करना, इमदाद का उन्मूलन और उद्योगों के लिए कर प्रोत्साहन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। सरकार के और अधिक खुली/बाजारों द्वारा प्रेरित अर्थव्यवस्था पर जोर देने और औद्योगिक नीति में परिवर्तनों के कारण, यह संभव है कि उद्योगों का पर्याप्त मात्रा में पुनः परिवर्तन हो। लघु श्रेणी के उद्योगों को बड़े आयातकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी और यह भी हो सकता है कि उनमें से कई बंद हो जाएं।

सरकारी कार्यालयों का आकार कम करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण से अवस्थिति संबंधी प्राथमिकताएं बदलने वाली हैं, जो कि मुख्य रूप से अब तक राष्ट्रीय राजधानी में ही संकेन्द्रित हैं। कई उद्योग बाजार की शक्तियों के कारण अपने को कहीं और ले जाएंगे। सेवा क्षेत्र का विशेषकर एन.सी.टी.-दिल्ली में बहुत तेजी से विस्तार होगा।

5.2. आर्थिक संरचना

5.2.1 क्षेत्र

लगभग पूर्णतः विकसित ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की विशेषता है। क्षेत्र के आर्थिक ढांचे में मुख्यतः प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक स्तर की गतिविधियों में पिछले तीन दशकों में विविधताएं देखी गयी हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी 1971 में लगभग 44% से घटकर कर 1991 में 35% हो गयी

- iii) The minimum area to be developed by such a Company should be 100 acres for which norms and standards are to be followed as per local bye-laws/rules. In the absence of such bye-laws/rules, a minimum of two thousand dwelling units for about ten thousand population will need to be developed by the investor.
- iv) The investing Foreign Company should achieve clear milestones once its proposal has been approved.
 - a) The minimum capitalization norm shall be US\$ 10 million for a wholly owned subsidiary and US\$5 million for joint ventures with Indian partner/s. The funds would have to be brought in upfront.
 - b) A minimum lock-in period of three years from completion of minimum capitalization shall apply before repatriation of original investment is permitted.
 - c) A minimum of 50% of the integrated project development must be completed within a period of five years from the date of possession of the first piece of land.

However, if the investor intends to exit earlier due to reasons beyond his control, it shall be decided by FIPB on a case-to-case basis.
- v) Conditions regarding the use of land for commercial purposes, development charges, external development charges and other charges as laid down in Master Plan/Bye-laws, preparation of layout and building plan, development of internal and peripheral development, development of other infrastructure facilities including the trunk services etc., will be the responsibility of the investor as per planning norms and standards on similar lines as those applicable to local investors. In the absence of such standards and norms, every State Government may decide their own conditions for which the Urban Development Plan Formulation and Implementation guidelines circulated by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation may serve as a guiding principle.
- vi) Land with assembled area for peripheral services such as police stations, milk booths will be handed over free of cost to the Government/local authority/agency as the case may be.
- vii) The Developer will retain the lands for community services such as (i) schools, (ii) shopping complex, (iii) community centres, (iv) ration shop and (v) hospital/dispensary. These services will be developed by developer himself and shall be made operational before the houses are occupied.
- viii) The developer, after properly developing playgrounds, park, will make it available to the local authorities free of cost.
- ix) The Developer will ensure the norms and standards as applicable under local laws/rules.
- x) For companies investing in Special Economic Zones, Foreign Investment Promotion Board may accord exemption to any of the above mentioned conditions on a case-to-case basis. This will, however, be an interim measure till guidelines are evolved in due course in a need based manner.

The changes in economic policy, the process of privatization of PSUs and downsizing of government, elimination of subsidies and tax incentives for industry are going to change the economic structure of the NCR in a significant manner. With the thrust of the government on more open/market driven economy and the consequent changes in the industrial policy, it is likely that there would be a considerable re-shuffling of industries. Small-scale industries will be exposed to intense competition from larger imports and many may even be wiped out.

The downsizing of government offices and privatization of PSUs is likely to change the locational preferences, which have so far been concentrated in the national Capital. Many industries may relocate themselves due to market driven forces. Service sector will expand very fast, particularly in NCT-Delhi and surrounding areas.

5.2 ECONOMIC STRUCTURE

5.2.1 The Region

The region is characterised by fairly well developed rural as well as urban economy. The economic structure in the region has shown diversification from primary to secondary and tertiary activities in the last three decades wherein the participation in the primary sector declined from about 44% in 1971 to

जिससे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वृद्धि हुई है (सारणी 5.1)। उम्मीद की जाती है कि 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 70% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी, तो प्राथमिक गतिविधियों की हिस्सेदारी घटकर लगभग 20% रह जाएगी।

सारणी 5.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यबल का वितरण (1971 और 1991)

वर्ष/ कामगारों की श्रेणी	1971		1991	
	कामगार	प्रतिशत	कामगार	प्रतिशत
1	2	3	4	5
काश्तकार	12,70,942	32.66	17,90,347	23.16
खेतीहर मजदूर	4,01,725	10.32	8,21,188	10.62
पशुधन, वन इत्यादि	44,485	1.14	58,378	0.76
खनन और खदान	6,457	0.17	13,884	0.18
उप-योग प्राथमिक क्षेत्र	17,23,609	44.30	26,83,797	34.71
विनिर्माण, प्रक्रमण				
(क) घरेलू उद्योग	1,66,572	4.28	1,28,661	1.66
(ख) घरेलू उद्योगों के आलावा अन्य	4,64,125	11.93	12,81,140	16.57
निर्माण	1,07,937	2.77	3,54,049	4.58
उप-योग द्वितीयक क्षेत्र	7,38,634	18.98	17,63,850	22.81
व्यापार और वाणिज्य	4,14,000	10.64	11,37,207	14.71
परिह्वन, भंडारण और संचार	1,84,839	4.75	4,11,842	5.33
अन्य सेवाएं	8,29,850	21.33	17,34,993	22.44
उप-योग तृतीयक क्षेत्र	14,28,689	36.72	32,84,042	42.48
कुल मुख्य कामगार	38,90,932	100.00	77,31,689	100.00
सहभागिता अनुपात	27.40		29.00	

स्रोत: जनगणना 1971 और 1991, भारत की जनगणना

सारणी 5.2: रा.रा.क्षे. में कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता

उप-क्षेत्र	सहभागिता का अनुपात		
	1971	1981	1991
1	2	3	4
एन.सी.टी.-दिल्ली	30.20	31.80	31.51
हरियाणा	25.02	27.70	28.35
राजस्थान	26.40	25.60	28.00
उत्तर प्रदेश	27.20	27.00	27.20
कुल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	27.40	28.70	29.00

स्रोत: जनगणना 1971, 1981 व 1991, भारत की जनगणना

जनगणना 1991 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्य कामगारों की कुल संख्या 77,31,689 थी जो कि क्षेत्र में 1971 में 27.40% की तुलना में 29% सहभागिता दर्शाता है (सारणी 5.2)।

5.2.2 एन.सी.टी.-दिल्ली

जनगणना 1991 से पता चलता है कि दिल्ली निर्माण, व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों का क्षेत्र में सबसे बड़ा केन्द्र रहा है तथा इसलिए यहां अधिक रोजगार है। 1991 में विनिर्माण (घरेलू और घरेलू के अलावा दोनों) में कामगारों की संख्या 7.31 लाख थी जो कि रा. रा. क्षे. विनिर्माण का 52% थी। इसी प्रकार, व्यापार और वाणिज्य में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.10 लाख है जो कि क्षेत्र में समग्र व्यापार और वाणिज्य का 62% है। दिल्ली की निर्माण गतिविधियां काफी अधिक (2.32 लाख) हैं जो कि क्षेत्र में समग्र निर्माण का लगभग 65% है (सारणी 5.3)।

कार्यरत व्यक्तियों के औद्योगिक गठन का अनुमान लगाने में यह माना गया है कि प्राथमिक क्षेत्र और घरेलू उद्योग का अंश निरंतर गिरता जायेगा जबकि व्यापार और वाणिज्य का अंश निरंतर बढ़ता जायेगा। अन्य क्षेत्रों का अंश अनुपातिक रूप से सुझाया गया है। कार्यरत व्यक्तियों का परिणामिक गठन सारणी 5.4 में दर्शाया गया है।

35% in 1991 in favour of the secondary and tertiary sectors (refer Table 5.1). It is expected that with more than about 70% of the population in the NCR living in urban areas by 2021, the share of primary activities would reduce to about 20%.

Table 5.1: Distribution of Workforce in NCR (1971 and 1991)

Year/ Category of workers	1971		1991	
	Workers	%age	Workers	%age
1	2	3	4	5
Cultivators	12,70,942	32.66	17,90,347	23.16
Agricultural Labourers	4,01,725	10.32	8,21,188	10.62
Livestock, Forestry etc.	44,485	1.14	58,378	0.76
Mining and Quarrying	6,457	0.17	13,884	0.18
Sub-total Primary Sector	17,23,609	44.30	26,83,797	34.71
Manufacturing, Processing				
a) Household Industries	1,66,572	4.28	1,28,661	1.66
b) Other than household Industries	4,64,125	11.93	12,81,140	16.57
Construction	1,07,937	2.77	3,54,049	4.58
Sub-total Secondary Sector	7,38,634	18.98	17,63,850	22.81
Trade and Commerce	4,14,000	10.64	11,37,207	14.71
Transport, Storage and Communications	1,84,839	4.75	4,11,842	5.33
Other Services	8,29,850	21.33	17,34,993	22.44
Sub-total Tertiary Sector	14,28,689	36.72	32,84,042	42.48
Total Main Workers	38,90,932	100.00	77,31,689	100.00
Participation Ratio	27.40		29.00	

Source: Census 1971 and 1991, Census of India

Table 5.2: Workforce Participation in NCR

Sub-region	Participation Ratio		
	1971	1981	1991
1	2	3	4
NCT-Delhi	30.20	31.80	31.51
Haryana	25.02	27.70	28.35
Rajasthan	26.40	25.60	28.00
Uttar Pradesh	27.20	27.00	27.20
Total NCR	27.40	28.70	29.00

Source: Census 1971, 1981 and 1991, Census of India

According to the Census 1991, total main workers in NCR were 77,31,689 representing workforce participation rate in the region at 29%, in contrast to 27.40% in 1971 (refer Table 5.2).

5.2.2 NCT-Delhi

The Census 1991 shows that NCT-Delhi remains the largest growth centre in the region in terms of manufacturing, trading/commercial activities and hence there is higher concentration of employment. The number of workers in manufacturing (both household and other than household) in 1991 was 7.31 lakhs constituting about 52% of the manufacturing in the region. Similarly, the workforce engaged in trade and commerce worked out to 7.10 lakhs accounting for as high as 62% of the overall trade and commerce in the region. Delhi's construction activity was considerably high (2.32 lakhs) constituting nearly 65% of the overall construction force in the region (Table 5.3).

In projecting the industrial composition of the labour force it has been assumed that the shares of the primary sector and household industry would continue to fall while the shares of trade and commerce would continue to rise. The shares of the other sectors have been suggested proportionately. The resulting composition of labour force is shown in the Table 5.4.

सारणी 5.3: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण (1991)

उप-क्षेत्र	कार्यरत		कृषि श्रमिक		पशुधन, वन आदि		खनन और खदान	
	कामगार	%	कामगार	%	कामगार	%	कामगार	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एन.सी.टी.-दिल्ली	33,296	1.86	25,195	3.07	19,024	32.59	7,042	50.72
हरियाणा	6,77,117	37.82	2,86,950	34.94	13,605	23.31	4,462	32.14
राजस्थान	2,22,065	12.40	35,158	4.28	4,087	7.00	2,004	14.43
उत्तर प्रदेश	8,57,869	47.92	4,73,885	57.71	21,662	37.11	376	2.71
कुल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	17,90,347	100.00	8,21,188	100.00	58,378	100.00	13,884	100.00

उप-क्षेत्र	घरेलू उद्योग		घरेलू उद्योगों के अलावा		निर्माण		व्यापार और वाणिज्य	
	कामगार	%	कामगार	%	कामगार	%	कामगार	%
1	10	11	12	13	14	15	16	17
एन.सी.टी.-दिल्ली	41,788	32.48	6,89,163	53.79	2,31,571	65.41	7,09,614	62.40
हरियाणा	26,371	20.50	2,48,635	19.41	52,744	14.90	1,64,767	14.49
राजस्थान	6,524	5.07	34,083	2.66	8,611	2.43	29,796	2.62
उत्तर प्रदेश	53,978	41.95	3,09,259	24.14	61,123	17.26	2,33,030	20.49
कुल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1,28,661	100.00	12,81,140	100.00	3,54,049	100.00	11,37,207	100.00

उप-क्षेत्र	परिवहन, भंडारण और संचार		अन्य सेवाएं		कुल मुख्य कामगार	
	कामगार	%	कामगार	%	कामगार	%
1	18	19	20	21	22	23
एन.सी.टी.-दिल्ली	2,46,490	59.85	9,65,194	55.63	29,68,377	38.39
हरियाणा	71,813	17.44	3,36,704	19.41	18,83,168	24.36
राजस्थान	11,370	2.76	53,142	3.06	4,06,840	5.26
उत्तर प्रदेश	82,169	19.95	3,79,953	21.90	24,73,304	31.99
कुल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	4,11,842	100.00	17,34,993	100.00	77,31,689	100.00

स्रोत : जनगणना 1991, भारत की जनगणना

सारणी 5.4: एन.सी.टी.-दिल्ली में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण (1991-2021)

श्रेणियाँ	कामगारों का अनुपात (% में)	
	1991	2021
1	2	3
प्राथमिक क्षेत्र	2.85	0.75
उद्योग	24.68	21.00
निर्माण	7.80	7.25
व्यापार और वाणिज्य	23.91	30.00
परिवहन, भंडारण और संचार	8.30	8.00
अन्य सेवाएं	32.52	33.00
सहभागिता का दर	31.51	38.00

स्रोत : जनगणना 1991, भारत की जनगणना

5.2.3. उप-क्षेत्र

i) हरियाणा

हरियाणा उप-क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की भागीदारी का अनुपात 1971 में 25% से बढ़कर वर्ष 1981 में 27.7 % तथा वर्ष 1991 में 28.35% हो गई है (सारणी 5.2)। जनगणना 1971 की के अनुसार कृषि गतिविधियों में लगे कामगार कुल कामगारों का 60% थे। यह 1981 में कम होकर 54% तथा 1991 में 51% रह गए जो कृषि गतिविधियों से हटकर गैर-कृषिगत गतिविधियों की ओर झुकाव को दर्शाता है। क्षेत्र, जिनमें कामगारों के प्रतिशत अंश में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है, वह घरेलू के अलावा उद्योग जो कि 1971 में 8.85 से बढ़कर 1991 में 13.20, तथा अन्य सेवाएं 1971 में 14.24 से वर्ष 1991 में 17.88 तक थी (सारणी 5.5)।

Table 5.3: Distribution of Workforce in NCR (1991)

Sub-region	Cultivators		Agriculture labourers		Livestock, Forestry etc.		Mining and Quarrying	
	Workers	%	Workers	%	Workers	%	Workers	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NCT-Delhi	33,296	1.86	25,195	3.07	19,024	32.59	7,042	50.72
Haryana	6,77,117	37.82	2,86,950	34.94	13,605	23.31	4,462	32.14
Rajasthan	2,22,065	12.40	35,158	4.28	4,087	7.00	2,004	14.43
Uttar Pradesh	8,57,869	47.92	4,73,885	57.71	21,662	37.11	376	2.71
NCR Total	17,90,347	100.00	8,21,188	100.00	58,378	100.00	13,884	100.00

Sub-region	Household Industries		Other than household Industries		Construction		Trade and Commerce	
	Workers	%	Workers	%	Workers	%	Workers	%
1	10	11	12	13	14	15	16	17
NCT-Delhi	41,788	32.48	6,89,163	53.79	2,31,571	65.41	7,09,614	62.40
Haryana	26,371	20.50	2,48,635	19.41	52,744	14.90	1,64,767	14.49
Rajasthan	6,524	5.07	34,083	2.66	8,611	2.43	29,796	2.62
Uttar Pradesh	53,978	41.95	3,09,259	24.14	61,123	17.26	2,33,030	20.49
NCR Total	1,28,661	100.00	12,81,140	100.00	3,54,049	100.00	11,37,207	100.00

Sub-region	Transport, Storage and Communications		Other Services		Total Main Workers	
	Workers	%	Workers	%	Workers	%
1	18	19	20	21	22	23
NCT-Delhi	2,46,490	59.85	9,65,194	55.63	29,68,377	38.39
Haryana	71,813	17.44	3,36,704	19.41	18,83,168	24.36
Rajasthan	11,370	2.76	53,142	3.06	4,06,840	5.26
Uttar Pradesh	82,169	19.95	3,79,953	21.90	24,73,304	31.99
NCR Total	4,11,842	100.00	17,34,993	100.00	77,31,689	100.00

Source: Census 1991, Census of India

Table 5.4: Distribution of Workforce in NCT-Delhi (1991-2021)

Categories	Proportion of Workers (%)	
	1991	2021
1	2	3
Primary Sector	2.85	0.75
Industry	24.68	21.00
Construction	7.80	7.25
Trade and Commerce	23.91	30.00
Transport, Storage and Communications	8.30	8.00
Other Services	32.52	33.00
Participation rate	31.51	38.00

Source: Census 1991, Census of India

5.2.3 Sub-regions

i) Haryana

The work force participation ratio in the Haryana Sub-region increased from 25% in 1971 to 27.7% in 1981 and to 28.35% in 1991 (refer Table 5.2). Workers engaged in agricultural activities were 60% of the total workers as per the Census 1971. It declined to 54% in 1981 and to 51% in 1991 showing thereby diversification of occupations from agricultural activities to non-agricultural activities. The sectors, which registered the maximum increase in per cent share of workers were industries other than household from 8.85 in 1971 to 13.20 in 1991, and other services from 14.24 in 1971 to 17.88 in 1991 (refer Table 5.5).

सारणी 5.5: हरियाणा उप-क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण (1971-1991)

कामगारों की श्रेणी	1971		1991	
	कामगार	%	कामगार	%
1	2	3	4	5
काश्तकार	4,49,747	46.63	6,77,117	35.96
खेतिहर मजदूर	1,32,687	13.76	2,86,950	15.24
पशुधन, वन आदि	9,447	0.98	13,605	0.72
खनन और खदान	2,501	0.26	4,462	0.24
घरेलू उद्योग	38,723	4.01	26,371	1.40
घरेलू उद्योगों के अतिरिक्त	85,321	8.85	2,48,635	13.20
निर्माण	19,355	2.01	52,744	2.80
व्यापार और वाणिज्य	64,931	6.73	1,64,767	8.75
परिवहन, भंडारण और संचार	24,512	2.54	71,813	3.81
अन्य सेवाएं	1,37,363	14.24	3,36,704	17.88
कुल कामगार	9,64,587	100.00	18,83,168	100.00
जनसंख्या	38,55,568		66,43,604	
सहभागिता अनुपात	25.02		28.35	

नोट: पशुधन आदि में कामगारों के 1971 के आंकड़ों में खनन और खदान श्रेणी में लगे कामगार शामिल हैं।
 स्रोत: जनगणना 1971 और 1991, भारत की जनगणना

ii) राजस्थान

राजस्थान उप-क्षेत्र में कामगारों की कुल संख्या 1991 में 4.07 लाख थी। कार्यरत व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 1971 में 26.40% से बढ़कर 1981 में 25.60% तथा 1991 में 28.33% हो गया था (सारणी 5.2), यह मुख्य रूप से उप-क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों विकास के कारण हुआ। घरेलू उद्योग को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र का अंश 1971-1991 की अवधि में 2.46% से 8.38% तक बढ़ गया (सारणी 5.6)।

सारणी 5.6: राजस्थान उप-क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण (1971-1991)

कामगारों की श्रेणी	1971		1991	
	कामगार	%	कामगार	%
1	2	3	4	5
काश्तकार	1,35,956	63.08	2,22,065	54.58
खेतिहर मजदूर	19,511	9.05	35,158	8.64
पशुधन, वन आदि	2,347	1.09	4,087	1.00
खनन और खदान	432	0.20	2,004	0.49
घरेलू उद्योग	8,921	4.14	6,524	1.60
घरेलू उद्योगों के अतिरिक्त	5,299	2.46	34,083	8.38
निर्माण	2,558	1.19	8,611	2.12
व्यापार और वाणिज्य	10,717	4.97	29,796	7.32
परिवहन, भंडारण और संचार	3,156	1.46	11,370	2.79
अन्य सेवाएं	26,624	12.35	53,142	13.06
कुल मुख्य कामगार	2,15,521	100.00	4,06,840	100.00
सहभागिता अनुपात	26.40		28.33	

नोट: पशुधन, वन आदि में कामगारों के 1971 के आंकड़ों में खनन और खदान श्रेणी में लगे कामगार शामिल हैं।
 स्रोत: जनगणना 1971 व 1991, भारत की जनगणना

iii) उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में, कार्यरत व्यक्तियों की भागीदारी का अनुपात उत्तरोत्तर जनगणनाओं 1971, 1981 और 1991 के दौरान 27% अपरिवर्तित रहा था (सारणी 5.2)। उन क्षेत्रों, जिनमें 1991 के बीच कामगारों के प्रतिशत अंश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वे उद्योग (घरेलू के अलावा) तथा व्यापार और वाणिज्य थे। कृषि क्षेत्र में कामगारों के अंश में 59.85% से 53.85% तक की कमी हुई। गृह उद्योगों के अंश में भी 6.14% से 2.18% तक कमी आयी है (सारणी 5.7)।

Table 5.5: Distribution of Workforce in Haryana Sub-region (1971-1991)

Category of workers 1	1971		1991	
	Workers 2	% 3	Workers 4	% 5
Cultivators	4,49,747	46.63	6,77,117	35.96
Agriculture labourers	1,32,687	13.76	2,86,950	15.24
Livestock, Forestry etc.	9,447	0.98	13,605	0.72
Mining and Quarrying	2,501	0.26	4,462	0.24
Household Industries	38,723	4.01	26,371	1.40
Other than Household Industries	85,321	8.85	2,48,635	13.20
Construction	19,355	2.01	52,744	2.80
Trade and Commerce	64,931	6.73	1,64,767	8.75
Transport, Storage and Communications	24,512	2.54	71,813	3.81
Other Services	1,37,363	14.24	3,36,704	17.88
Total Main Workers	9,64,587	100.00	18,83,168	100.00
Population	38,55,568		66,43,604	
Participation Ratio	25.02		28.35	

Note: 1971 figures for workers in livestock etc. include workers in mining and quarrying category

Source: Census 1971 and 1991, Census of India

ii) Rajasthan

The total number of workers in the Rajasthan Sub-region stood at 4.07 lakhs in 1991. The workforce participation ratio increased from 26.40% in 1971 to 25.60% in 1981 and 28.33% in 1991 (refer Table 5.2), mainly because of significant development of industrial and economic activities in the Sub-region. The share of the industrial sector other than household industry increased from 2.46% to 8.38% in the period 1971-91 (refer Table 5.6).

Table 5.6: Distribution of Workforce in Rajasthan Sub-region (1971-1991)

Category of workers 1	1971		1991	
	Workers 2	% 3	Workers 4	% 5
Cultivators	1,35,956	63.08	2,22,065	54.58
Agriculture labourers	19,511	9.05	35,158	8.64
Livestock, Forestry etc.	2,347	1.09	4,087	1.00
Mining and Quarrying	432	0.20	2,004	0.49
Household Industries	8,921	4.14	6,524	1.60
Other than Household Industries	5,299	2.46	34,083	8.38
Construction	2,558	1.19	8,611	2.12
Trades and Commerce	10,717	4.97	29,796	7.32
Transport, Storage and Communications	3,156	1.46	11,370	2.79
Other Services	26,624	12.35	53,142	13.06
Total Main Workers	2,15,521	100.00	4,06,840	100.00
Participation Ratio	26.40		28.33	

Note: 1971 figures for workers in livestock etc. include workers in mining and quarrying category

Source: Census 1971 and 1991, Census of India

iii) Uttar Pradesh

In the U.P. Sub-region, the work force participation ratio remained unchanged at 27% during successive Censuses of 1971, 1981 and 1991 (refer Table 5.2). The sectors which showed a significant growth in per cent share of workers between 1971 and 1991 were industries (other than household) and trade and commerce. The share of workers in the agricultural sector showed a decline from 59.85% to 53.85%. The share of household industries also declined from 6.14% to 2.18% (refer Table 5.7).








Figure 5.1: Distribution of workforce in the NCR (1991)
 Source: Census 1991, Census of India

सारणी 5.7: उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का वितरण (1971-1991)

कामगारों की श्रेणी	1971		1991	
	कामगार	%	कामगार	%
1	2	3	4	5
काश्तकार	6,53,043	44.05	8,57,869	34.69
खेतिहर मजदूर	2,34,258	15.80	4,73,885	19.16
पशुधन, वन आदि	22,364	1.51	21,662	0.88
खनन और खदान	460	0.03	376	0.02
घरेलू उद्योग	90,998	6.14	53,978	2.18
घरेलू उद्योगों के अलावा	1,09,850	7.41	3,09,259	12.50
निर्माण	20,886	1.41	61,123	2.47
व्यापार और वाणिज्य	93,755	6.32	2,33,030	9.42
परिवहन, भंडारण और संचार	42,195	2.85	82,169	3.32
अन्य सेवाएं	2,14,618	14.48	3,79,953	15.36
कुल मुख्य कामगार	14,82,427	100.00	24,73,304	100.00
जनसंख्या	54,40,296		90,01,704	
सहभागिता अनुपात	27.25		27.48	

नोट: पशुधन आदि में कामगारों के 1971 के आंकड़ों में खनन और खदान श्रेणी में लगे कामगार शामिल हैं।
 स्रोत: जनगणना 1971 व 1991, भारत की जनगणना

5.2.4. केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के नगर

केन्द्रीय रा.रा.क्षे. नगरों नामतः बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा में 1991 में 29.50% की कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता दर से प्राथमिक कामगारों (5.16%) का बहुत कम अनुपात है, द्वितीयक क्षेत्रक में कार्यरत व्यक्तियों (37.29%) का सामान्य रूप से अधिक अनुपात है तथा तृतीयक कामगारों (57.55%) का उच्च अनुपात है। केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के नगरों का दिल्ली के समीप होने से, आर्थिक गतिविधियों को बढ़े रूप से आकर्षित करेंगे और उच्च सहभागिता दर हासिल कर सकते हैं। इन नगरों में औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति दिखाती हैं और लगातार अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते रहेंगे। इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ाना होगा तथा व्यापार और वाणिज्य तथा परिवहन, भंडारण, संचार और अन्य सेवाओं जैसे तृतीयक क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा करने होंगे। कार्यरत व्यक्तियों का परिणामी गठन सारणी 5.8 में दिखाया गया है।

सारणी 5.8: रा.रा.क्षे. नगरों के चयनित नगरों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की सहभागिता अनुपात (1981-1991)

नगर/बस्ती	1981	1991
1	2	3
एन.सी.टी.-दिल्ली	29.0	31.8
केन्द्रीय रा.रा.क्षे. (दिल्ली महानगर क्षेत्र) नगर		
बहादुरगढ़	29.7	28.1
फरीदाबाद	33.8	30.4
गाजियाबाद	29.0	28.0
गुड़गांव	28.0	28.7
नोएडा	--	32.7
कुल नगर केन्द्रीय रा.रा.क्षे. (दिल्ली महानगर क्षेत्र) नगर	28.2	29.5
प्राथमिकता नगर		
अलवर	26.7	27.6
खुर्जा	25.4	25.9
मेरठ	28.3	26.9
रोहतक	19.6	27.3
बुलंदशहर	26.2	25.2
पलवल	27.4	27.1
पानीपत	30.4	30.4
हापुड़	26.2	25.3
रेवाड़ी	26.9	26.3
कुल प्राथमिकता नगर	26.6	27.1

स्रोत: जनगणना 1981 व 1991, भारत की जनगणना

Table 5.7: Distribution of Workforce in Uttar Pradesh Sub-region (1971-1991)

Category of workers	1971		1991	
	Workers	%	Workers	%
1	2	3	4	5
Cultivators	6,53,043	44.05	8,57,869	34.69
Agriculture labourers	2,34,258	15.80	4,73,885	19.16
Livestock, Forestry etc.	22,364	1.51	21,662	0.88
Mining and Quarrying	460	0.03	376	0.02
Household Industries	90,998	6.14	53,978	2.18
Other than Household Industries	1,09,850	7.41	3,09,259	12.50
Construction	20,886	1.41	61,123	2.47
Trade and Commerce	93,755	6.32	2,33,030	9.42
Transport, Storage and Communications	42,195	2.85	82,169	3.32
Other Services	214,618	14.48	3,79,953	15.36
Total Main Workers	14,82,427	100.00	24,73,304	100.00
Population	54,40,296		90,01,704	
Participation Ratio	27.25		27.48	

Note: 1971 figures for workers in livestock etc. include workers in mining and quarrying category

Source: Census 1971 and 1991, Census of India

5.2.4 Central NCR Towns

The Central NCR towns, namely, Bahadurgarh, Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad, NOIDA, with a workforce participation rate of 29.50% in 1991 had a very low proportion of primary workers (5.16%) a moderately high proportion of secondary workers (37.29%) and a high proportion of tertiary workers (57.55%). Owing to the location of the Central NCR towns close to Delhi, it is expected that they would attract economic activities at a much greater scale and would thus achieve a much higher participation rate. These towns, since they have shown tendency to attract industrial activities, would continue to generate more employment opportunities in this sector. The continued growth in this sector would have to be supplemented and generate more employment in the tertiary sector like trade and commerce and transport, storage, communication and other services. The resulting composition of labour force is shown in the Table 5.8.

Table 5.8: Workers Participation Ratio in Selected Towns of NCR (1981-1991)

Cities /Towns	1981	1991
1	2	3
NCT-Delhi	29.0	31.8
Central NCR (DMA) Towns		
Bahadurgarh	29.7	28.1
Faridabad	33.8	30.4
Ghaziabad	29.0	28.0
Gurgaon	28.0	28.7
NOIDA	--	32.7
Central NCR (DMA) Towns Total	28.2	29.5
Priority Towns		
Alwar	26.7	27.6
Khurja	25.4	25.9
Meerut	28.3	26.9
Rohtak	19.6	27.3
Bulandshahr	26.2	25.2
Palwal	27.4	27.1
Panipat	30.4	30.4
Hapur	26.2	25.3
Rewari	26.9	26.3
Priority Towns Total	26.6	27.1

Source: Census 1981 and 1991, Census of India

सारणी 5.9: केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना (2021)

नगर	सहभागिता अनुपात	कामगारों का अनुपात (%)					
		प्राथमिक क्षेत्र	उद्योग	निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	सेवाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
बहादुरगढ़	35	6.0	30.0	4.0	25.0	10.0	25.0
फरीदाबाद-बल्लभगढ़	35	2.0	45.0	6.0	16.0	7.0	24.0
गुडगांव-मानेसर	35	2.0	40.0	10.0	16.0	10.0	22.0
गाजियाबाद-लोनी	30	0.5	38.0	6.0	15.0	10.0	30.0
नोएडा	35	2.0	40.0	6.0	20.0	12.0	20.0
सोनीपत-कुंडली	35	2.0	40.0	10.0	16.0	10.0	22.0

5.2.5 क्षेत्रीय केन्द्र

क्षेत्रीय योजना-2001 में अभिज्ञात क्षेत्रीय केन्द्र समग्र रूप से 1981 में 26.6% की तुलना में 1991 में 27.10% कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता दर प्रस्तुत करते हैं। केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (के.रा.रा.क्षे.) के नगरों और प्राथमिकता नगरों के लिए सहभागिता अनुपात सारणी 5.8 में दर्शाया गया है। एन.सी.टी.-दिल्ली से शहरी आबादी को के.रा.रा.क्षे. से आगे, क्षेत्रीय केन्द्रों में विकसित करने की नीति के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां भागीदारी दर में वृद्धि हो। इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के मुकाबले रोजगार अवसरों का विस्तार करने में निर्माणाधीन गतिविधियों का अधिक गुणक प्रभाव पड़ता है उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए, ताकि अनुमानित जनसंख्या को कार्य में लगाया जा सके, इन केन्द्रों की कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में औद्योगिक कार्य क्षेत्र को प्रमुखता देनी होगी। इसके अतिरिक्त, इन नगरों को अन्य द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने होंगे। क्षेत्रीय योजना-2021 में अभिज्ञात मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों में श्रमिक बल का परिणामी गठन सारणी 5.10 में दिखाया गया।

सारणी 5.10: मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों (वाह्य के.रा.रा.क्षे.) में प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना (2021)

नगर/परिसर	सहभागिता अनुपात	कामगारों का अनुपात (%)					
		प्राथमिक क्षेत्र	उद्योग	निर्माण	व्यापार और वाणिज्य	परिवहन, भंडारण और संचार	सेवाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
पानीपत	32	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
रोहतक	30	7.0	28.0	4.0	20.0	13.0	28.0
पलवल	30	9.0	15.0	4.0	17.0	21.0	34.0
रेवाड़ी	30	9.0	15.0	4.0	21.0	15.0	36.0
धारुहेड़ा	30	5.0	50.0	4.0	16.0	7.0	18.0
बावल	30	9.0	35.0	4.0	15.0	15.0	22.0
मेरठ	32	2.0	29.0	4.0	20.0	9.0	36.0
हापुड़-पिलखुआ	30	6.0	28.0	4.0	22.0	13.0	27.0
बुलंदशहर	30	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
खुर्जा	30	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
बृहत नोएडा	35	2.0	40.0	6.0	20.0	12.0	20.0
बागपत-बरोत	30	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
अलवर	30	5.0	30.0	4.0	20.0	11.0	30.0
बृहत भीवाड़ी	30	5.0	50.0	4.0	16.0	7.0	18.0
शाहजहानपुर-नीमराना-बहरोर	30	5.0	50.0	4.0	16.0	7.0	18.0

5.3 मुद्दे

5.3.1 क्षेत्र स्तरीय मुद्दे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के प्रवर्तन और विकास के लिए हल किए जाने वाले प्रमुख मुद्दे उनके स्थल और प्रचालन के तरीके के विनियमन से संबंधित हैं जो प्राकृतिक सुविधाओं की क्षति के

Table 5.9: Proposed Occupational Structure in Metro and Regional Centres within Central NCR (2021)

Town/Complex	Participation Ratio	Proportion of Workers (%)					
		Primary Sector	Industry	Construction	Trade and Commerce	Transport Storage and Communications	Services
1	2	3	4	5	6	7	8
Bahadurgarh	35	6.0	30.0	4.0	25.0	10.0	25.0
Faridabad-Ballabgarh	35	2.0	45.0	6.0	16.0	7.0	24.0
Gurgaon-Manesar	35	2.0	40.0	10.0	16.0	10.0	22.0
Ghaziabad-Loni	30	0.5	38.0	6.0	15.0	10.0	30.0
Noida	35	2.0	40.0	6.0	20.0	12.0	20.0
Sonepat-Kundli	35	2.0	40.0	10.0	16.0	10.0	22.0

5.2.5 Regional Centres

The Regional Centres as identified in the Regional Plan-2001 in totality represented a workforce participation rate of 27.10% in 1991 as compared to 26.6% in 1981. The workers participation ratio for CNCR towns and priority towns is shown in Table 5.8. In the context of the policy of deflecting urban population from NCT-Delhi to the Regional Centres beyond the CNCR it may have to be ensured that their participation rate increases. Also, in view of the fact that the manufacturing activities have greater multiplier effect in the expansion of employment opportunities than employment in other sectors, in order to make them more attractive to realise the projected population, these centres may have to have strong industrial content in the workforce. Further these towns would have to have sufficient employment opportunities in the other secondary and tertiary sectors. The resulting composition of labour force in the Metro and Regional Centres as identified in the Regional Plan-2021 is shown in the Table 5.10.

Table 5.10: Proposed Occupational Structure in Metro and Regional Centres outside CNCR (2021)

Town/Complex	Participation Ratio	Proportion of Workers (%)					
		Primary Sector	Industry	Construction	Trade and Commerce	Transport Storage and Communications	Services
1	2	3	4	5	6	7	8
Panipat	32	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
Rohtak	30	7.0	28.0	4.0	20.0	13.0	28.0
Palwal	30	9.0	15.0	4.0	17.0	21.0	34.0
Rewari	30	9.0	15.0	4.0	21.0	15.0	36.0
Dharuhera	30	5.0	50.0	4.0	16.0	7.0	18.0
Bawal	30	9.0	35.0	4.0	15.0	15.0	22.0
Meerut	32	2.0	29.0	4.0	20.0	9.0	36.0
Hapur-Pilkhua	30	6.0	28.0	4.0	22.0	13.0	27.0
Bulandshahr	30	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
Khurja	30	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
Greater NOIDA	35	2.0	40.0	6.0	20.0	12.0	20.0
Baghpat-Baraut	30	4.0	40.0	4.0	20.0	12.0	20.0
Alwar	30	5.0	30.0	4.0	20.0	11.0	30.0
Greater Bhiwadi	30	5.0	50.0	4.0	16.0	7.0	18.0
Shahjahanpur-Neemrana-Behror	30	5.0	50.0	4.0	16.0	7.0	18.0

5.3 ISSUES

5.3.1 Regional Level Issues

The major issue to be resolved for promotion and growth of economic activities in NCR is related to regulation of their location and operation in a manner that will minimise its adverse effects/hypertrophy

साथ-साथ प्राकृतिक पर्यावरण के निम्नीकरण दोनों रूपों में पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करेंगे ।

मूलभूत अवसंरचना जैसे बिजली, पानी, परिवहन संपर्क, दूरसंचार इत्यादि, जो कि तीव्र आर्थिक वृद्धि की पूर्वापेक्षित हैं, में कमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकांश शहरों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं । इन शहरों को आत्मनिर्भर और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए आकर्षक बनाने के लिए सहवर्ती अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा ।

चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक अन्तर्राज्यीय क्षेत्र है, अतः सांविधिक कर दरों एवं उत्पादकों द्वारा कच्चा माल और मशीनरी खरीदने, विभिन्न सेवाओं जैसे बिजली, पानी और परिवहन इत्यादि की दरों में दी जाने वाली रियायतों में बहुत विभिन्नताएं हैं । इस कारण बहुत-सी विनिर्माण गतिविधियां एक राज्य से दूसरे में स्थानान्तरित हो जाती हैं ।

वित्तीय संस्थाएं और वाणिज्यिक बैंक चूंकि प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ही काम करते हैं, अतः कुछ सुविधाएं जैसे ऋणों का अन्तरण, वाणिज्यिक संव्यवहार इत्यादि सामान्यतया संभव ही नहीं है अथवा इनमें देरी होती है जिसके कारण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को अन्यत्र स्थापित करने या फ़ैलाने में बाधा पहुँचती है ।

आर्थिक विकास के लिए भूमि एक महत्वपूर्ण घटक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के जरिये भूमि अधिग्रहण और इसे विकास अभिकरणों को स्थानान्तरित करने की वर्तमान प्रक्रिया काफी जटिल है । इससे मांग और आपूर्ति में भारी अन्तर पड़ता है और इसके कारण आर्थिक गतिविधियां अस्वीकारात्मक क्षेत्रों में चलने लगती हैं और निजी तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण शुरू हो जाता है ।

5.3.2 गतिविधि संबंधी मुद्दे

क) उद्योग

i) एन.सी.टी.-दिल्ली

1991 के पहले के चार दशकों में, शहरी दिल्ली ने विनिर्माण और प्रक्रमण गतिविधियों के पक्ष में अपने आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण क्रियात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है । सन् 1951 में, केवल 17% कार्यरत व्यक्ति विनिर्माण और प्रक्रमण गतिविधियों में नियोजित थे जो 1991 में बढ़कर लगभग 25% हो गए । यह मुख्यतः सेवा क्षेत्र में, कमी के कारण हुआ जो 1951 में 43.66% से घटकर 1991 में 33.06% रह गयी । पिछले 2-3 दशकों में दिल्ली में, उद्योगों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जो कि 1971 में इन इकाईयों की संख्या 26,000 से बढ़कर 1999 में 1,37,000 अंकित की गई जो बड़े पैमाने में असंगठित क्षेत्र में थी जबकि दिल्ली के योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में केवल 25,000 भूखण्ड/औद्योगिक स्थल हैं ।

दिल्ली की पहली महा योजना में औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता महसूस की गई और इसमें कुछ निश्चित तरह के उद्योगों, मुख्यतः बड़े उद्योगों और हानिकारक उद्योगों को दिल्ली में स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया गया । दिल्ली की संशोधित महा योजना-2001 में दिल्ली की औद्योगिक वृद्धि को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता महसूस करते हुए केवल लघु श्रेणी के उद्योगों की वृद्धि की सिफारिश की गई । इस बीच के अन्तराल में औद्योगिक रोजगार में वृद्धि यह दर्शाती है कि महा योजनाओं में निर्धारित प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, और न ही उनकी बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए कोई कार्यान्वयन किया गया है ।

बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रतिबंधित करने की वजह से लघु श्रेणी के उद्योगों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो कि अस्वीकारात्मक क्षेत्रों में इनकी अनवरत वृद्धि और संकेन्द्रित होने की प्रवृत्ति की द्योतक है । इसका शहर के पर्यावरणीय आयाम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । अपने सीमित संसाधनों के कारण बड़ी इकाईयों की तुलना में लघु श्रेणी के उद्योग प्रति इकाई अधिक प्रदूषण फैलाते हैं । इन इकाईयों के बीमार पड़े रहने और आपसी स्पर्धा में कमी के कारण उत्पादकता में कमी और प्रदूषण में वृद्धि होती जाती है । इस संदर्भ में औद्योगिक वृद्धि में एक बड़े ढांचागत सुधार की आवश्यकता है ।

of the core on environment both in terms of loss of natural amenities as well as degradation of the natural environment.

Deficiencies in basic infrastructure like power, water, transport linkages, telecommunication etc., which are the pre-requisite for faster economic growth, are evident in most of the towns in NCR. To make these towns self-sustainable and attractive enough for future economic development, concomitant infrastructure needs will have to be met.

NCR being an inter-state region, wide variations exist in the statutory tax rates, as well as tax concessions given to manufacturers on purchase of raw materials and machinery, levy of tariff on various services like power, water and transport etc. This causes diversion of manufacturing activities from one State to another.

Since financial institutions and commercial banks operate within the jurisdiction assigned to them, certain facilities like transfer of loans, commercial transactions etc. are normally not possible or cause delays, which act as hindrance in the relocation and dispersal of the economic activities in the region.

Land being the vital factor for the economic development, the present procedure of acquisition of land through the Land Acquisition Act and the process of transferring it to the development agencies is quite cumbersome. This causes wide gap between demand and supply resulting in location of economic activities in the non-conforming areas and encroachments on private and public land.

5.3.2 Activity Specific Issues

A) Industry

i) NCT-Delhi

In the last four decades preceding 1991, urban Delhi has experienced a significant functional shift in its economic structure in favour of manufacturing and processing activities. In 1951, only about 17% of the workforce was employed in the manufacturing and processing activities, which increased to about 25% in 1991. This happened mainly at the expense of service sector, which declined from 43.66% in 1951 to 33.06% in 1991. There had also been a phenomenal growth of industries in Delhi in the last 2-3 decades, where a sharp increase in the number of units from 26,000 in 1971 to 1,37,000 in 1999 has been recorded and that too largely in unorganized sector, as the planned industrial areas of Delhi have hardly 25,000 plots/industrial sites.

The 1st Master Plan of Delhi recognised the need to put a curb on the industrial activities of Delhi and prohibited certain types of industries, mainly large scale and obnoxious industries from being set up in Delhi. The revised MPD-2001 while recognising the need of restricting the industrial growth of Delhi recommended the growth of only small scale industries. The increase in the industrial employment in the intervening period shows that the curbs prescribed by the Master Plans were not sufficient, nor was there any implementation effort to limit their proliferation.

The phenomenal growth in small scale industries which took place as a result of the prohibition of the large and medium industries is characterised by their continued growth and tendency to concentrate in non-conforming use zones. This had a direct bearing on environmental dimensions of the city. It is mainly because of their limited resources that the SSIs tend to waste material resulting in more pollution per unit of output than other large units. The growing sickness and decline in competitiveness of these units further lend credence to the premise of their low productivity and, therefore, greater pollution potential. In this context the industrial growth needs a major structural correction.

असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में इकाईयां की संख्या एक लाख से अधिक है जो कि अस्वीकारात्मक क्षेत्रों में चल रही हैं। इन क्षेत्रों में चल रही फैक्टरियों के वर्तमान ढांचों का स्थान बहुत बुरी अवस्था में है और इनमें जगह की बेहद कमी है। रासायनिक, प्लास्टिक, पी.वी.सी., इलेक्ट्रो-प्लेटिंग इकाईयां बहुत ही अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित दशा में प्रकाय कर रही हैं। औद्योगिक भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता और फैक्टरी विनियमों का अक्षम प्रवर्तन असंगठित क्षेत्र में व्याप्त वर्तमान स्थिति के प्रमुख कारण हैं।

कुछ भारी और बड़े, खतरनाक और हानिकारक अस्वीकारात्मक इकाईयों को दिल्ली से बाहर ले जाने की सिफारिशें दोनों दिल्ली महा योजना-1962 और दिल्ली महा योजना-2001 में किया है। उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाने के निर्णय कई स्तरों पर लिए जाते हैं और इस प्रक्रिया में कई लोगों के हित जुड़े होते हैं। इस बात का भय है कि जब तक इन सभी मुद्दों पर एक सहमति नहीं होगी, इन सिफारिशों पर अमल करना कठिन है।

ii) केन्द्रीय रा.रा.क्ष. (एन.सी.टी.-दिल्ली के बाहर)

1962 की दिल्ली मुख्य योजना की नीतियों के अनुक्रम में, केन्द्रीय रा.रा.क्ष. में पड़ने वाले नजदीकी शहरों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के क्रम में, संबंधित राज्य सरकारों ने इन शहरों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया। इसके परिणामस्वरूप इन शहरों में, संबंधित उप-क्षेत्रों की अपेक्षा, औद्योगिक गतिविधियां संकेन्द्रित हो गईं। दिल्ली के पड़ोस में औद्योगिक अवसंरचना के भारी जमाव से एन.सी.टी.-दिल्ली, जो कि केन्द्रीय रा.रा.क्ष. को शामिल करते हुए इस समय संसक्त पिंड बन चुका है, के पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

इन शहरों में औद्योगिक विकास करते समय इनके आवासीय, वाणिज्यिक, दूरसंचार और अन्य सुविधाओं का समतुल्य स्तर तक विकास नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की एक बड़ी संख्या दिल्ली में निवास करती हैं।

उपरोक्त परिदृश्य में, जहाँ एक तरफ इन शहरों के भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है, वहीं दिल्ली के लिए प्रस्तावित तदनुरूप प्रतिबंधों को लागू भी किया जाना चाहिए।

iii) शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

एन.सी.टी.-दिल्ली और केन्द्रीय रा.रा.क्ष. में कड़े प्रतिबंधों के साथ, केन्द्रीय रा.रा.क्ष. के बाहरी क्षेत्रों में नये औद्योगिक क्षेत्रों की खोज में तेजी लायी जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूर-देहात के क्षेत्रों में ऐसी क्षमता विद्यमान है बशर्ते वहाँ के अवरोधों, विशेषतया बिजली, पानी, दूरसंचार और परिवहन समस्याओं को दूर करने के गंभीर प्रयास किए जाएं।

दिल्ली के बाहर स्थानांतरित किए जाने वाले प्रदूषण फैलाने वाले और खतरनाक उद्योगों के लिये विशेष क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन उपायों से अच्छी तरह लैस किया जाना चाहिए ताकि समूचे क्षेत्र के पर्यावरणीय वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके।

ख) थोक व्यापार और वाणिज्य

1951 में, शहरी दिल्ली में इसके कुल कार्यरत व्यक्तियों का 22.8% व्यापार और वाणिज्य में लगा हुआ था, जो कि सेवा क्षेत्र के पश्चात् दूसरे स्थान पर था। हालांकि 1981 में, इसमें कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग वही (22.26%) था, इसका स्थान सेवा और निर्माणाधीन क्षेत्र घरेलू उत्पाद को छोड़कर, के बाद तीसरे स्थान पर आ गया। आंकड़ों के लिहाज से, 1951 से 1981 के बीच कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1.17 लाख से बढ़कर 4.13 लाख हो गई। 1971-1981 के बीच यह लगभग दो गुनी जो 2.4 लाख से बढ़कर 4.13 लाख हो गई। 1991 में व्यापार और वाणिज्य में बढ़कर यह 24.97% हो गया और इसने सेवा क्षेत्र के पश्चात् अपना दूसरा स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। इस क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या बढ़कर 6.73 लाख हो गई।

दिल्ली के अधिकांश थोक बाजार 19वीं और 20वीं शताब्दियों में स्थापित हुए थे और यह पुरानी दिल्ली क्षेत्र में अवस्थित है जो कि एक-दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं और रेलवे स्टेशन के निकट है। शहर के बीच में थोक व्यापारिक गतिविधियां

There are more than one lakh unorganised or informal sector units, which are operating in the non-conforming areas. The present factory space in the existing structures in these areas is badly maintained and over utilised. The chemical, plastic, PVC, electroplating units are functioning in excessively insanitary and un-safe conditions. The inadequate availability of the industrial land and in-efficient enforcement of operational and factory regulations are the major causes of the prevailing situation in the informal sector.

Recommendations of shifting of certain heavy and large, hazardous and noxious non-conforming units from Delhi have been made both in the MPD-1962 and MPD-2001. Shifting of industries from Delhi requires decisions on several related issues among various interest groups involved in the process. It is feared that unless all these issues are tied-up it will be difficult to implement these recommendations.

ii) Central NCR (outside NCT-Delhi)

In pursuance to the policies in the MPD-1962 to disperse economic activities in the adjoining towns falling in the Central NCR, the concerned State Governments developed large-scale industrial areas in these towns. This resulted in the concentration of industrial activities in these towns as compared to other parts of the respective sub-regions. This massive built-up of industrial infrastructure in the close proximity of Delhi may pose serious threat to environment in Central NCR including NCT-Delhi, which has now come up as a contiguous mass.

While undertaking industrial development in these towns, matching level of residential, commercial, telecommunications and other facilities have not been developed resulting in sizeable number of workers employed in the industries living in Delhi.

In the above scenario, where on the one hand there is need to upgrade the level of physical and social infrastructure in these towns, on the other, similar controls as proposed for Delhi may have to be made applicable.

iii) Rest of NCR

While taking stringent measures in NCT-Delhi and Central NCR, the search for new industrial areas outside Central NCR may have to be intensified. The NCR hinterland has enough potential to satisfy this urge provided some serious efforts are made to remove bottlenecks, particularly, power, water, telecommunications and transportation.

Specific areas may have to be earmarked for the relocation of polluting and hazardous industries proposed to be shifted outside Delhi, which may be adequately equipped with pollution control and management measures to keep the overall regional environment free from pollution.

B) Wholesale Trade and Commerce

In 1951, urban Delhi had 22.8% of its working force in trade and commerce, which was second to the services sector. Though, by 1981, it maintained more or less the same proportion of workforce (22.26%), it occupied the 3rd position next to services and manufacturing other than household goods. In absolute numbers, however, the workforce increased from 1.17 lakhs to 4.13 lakhs during 1951 to 1981. During 1971-1981 alone, it nearly doubled from 2.4 to 4.13 lakhs. In 1991 the share of trade and commerce rose to 24.97%, again regaining second place after the service sector. The absolute number of workers in this sector rose to 6.73 lakhs.

Most of the wholesale trades in Delhi were established in 19th and 20th centuries and are located in Old Delhi area, in close proximity to one another, and nearer to the railway station. The wholesale activity in

अनियोजित ढंग से संकेन्द्रित हैं, जिससे इस क्षेत्र में अत्यधिक शोरगुल के अलावा भीड़भाड़, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्याएँ पैदा हो गयी हैं ।

दिल्ली में लाई जाने वाली वस्तुओं का प्रमुख हिस्सा दिल्ली के बाहर वितरित किया जाता है । ऐसी वस्तुओं में दिल्ली से निर्यात किये जाने वाला प्रतिशत: सब्जियाँ व फल-78%, ईंधन तेल-49%, खाद्यान्न (47%) और लोह व इस्पात-44% हैं। व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र दिल्ली में होने के नाते, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है । क्षेत्र के अन्य शहरों में कमजोर आर्थिक आधार होने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ कम हैं ।

इन समस्याओं को हल करने का परंपरागत उपाय थोक व्यापारिक गतिविधियों को केन्द्रीय क्षेत्र से हटाकर, दिल्ली के परिधीय क्षेत्रों में और कुछ मामलों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर के कुछ क्षेत्रीय शहरों में स्थानान्तरित करना और पुनःस्थापित करना रहा है । दिल्ली महा योजना-2001 में थोक व्यापार के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की गई है, विशेषतः ज्यादा जगह घेरने वाली चीजों को गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुडगांव, कुंडली और लोनी जैसे केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के शहरों में स्थापित करने का। साथ ही साथ महा योजना में, बाजार के साथ गोदामों को पटपड़गंज, लोनी रोड, मदनपुर खादर, शहरी विस्तार क्षेत्र, नजफगढ़ और उत्तर के शहरी विस्तार क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रावधान भी है । इसके अलावा, उप-केन्द्रीय व्यावसायिक जिला (शाहदरा), ओखला, रोहतक रोड जिला केन्द्र, रोहिणी जिला केन्द्र, और शहरी विस्तार क्षेत्र के अन्य छोटे बाजारों में क्षेत्रीय-सहित-स्थानीय जिला केन्द्र बनाने का सुझाव भी दिया गया ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन गतिविधियों को दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के बाहर ले जाने से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और परिधीय क्षेत्रों में भीड़-भाड़ बढ़ेगी जिससे अनवरत विस्तार का सृजन होगा, यह उचित होगा कि केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के शहरों में वैकल्पिक अतिरिक्त थोक बाजारों और क्षेत्र के प्राथमिकता शहरों में विकास किया जाए तथा ऐसी और गतिविधियों को एन.सी.टी.-दिल्ली में लगाने की स्वीकृति नहीं दी जाये ।

ग) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और वाणिज्यिक/निगमित कार्यालय

दिल्ली में, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तेजी से रोजगार बढ़ रहा है । बड़ी संख्या में विदेशी दूतावासों, विदेशी मिशनों, अनुसंधान और सांस्कृतिक संगठनों के स्थापित होने से शहर की वृद्धि पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ा है। सन् 1921 से ही विभिन्न तरह के सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में रोजगार लगातार बढ़ता रहा है ।

सरकारी कार्यालयों में रोजगार, जो 1921 में केवल 8,000 था, 1985 में बढ़कर 2.25 लाख हो गया । 1941 से 1981 के दौरान, इस क्षेत्र में लगभग दो लाख नए रोजगार जुड़े हैं । कतिपय कार्यालयों को दिल्ली के बाहर भेजने के योजनाबद्ध प्रयासों से स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है । तथापि, केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में रोजगार में मामूली-सी कमी आई है और वह लगभग पिछले एक दशक से 2.14 लाख (1998) पर रूका हुआ है ।

1961 में सरकारी उपक्रमों में रोजगार केवल 6,000 था, जो 1981 में बढ़कर 1.41 लाख हो गया । केवल दो दशकों में इसमें 1.35 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई । 1971-1981 के दशक में, इन उपक्रमों में लगभग 85 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसका अर्थ है कि 1971-1981 के दशक के दौरान केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रोजगार के जरिये जनसंख्या में मोटे तौर पर 4.25 लाख की वृद्धि हुई । 1981-1991 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 84 हजार रोजगार की वृद्धि हुई । हालांकि 1998 में, इस क्षेत्र में रोजगार घटकर केवल 2.05 लाख तक रह गया ।

दिल्ली प्रशासन और स्थानीय निकायों में रोजगार मुख्यतः इनके आकार और महानगर की सेवाओं के ऊपरिशीर्ष में वृद्धि के साथ प्रशासन और स्थानीय निकायों के बढ़े हुए उत्तरदायित्वों के कारण हुआ । 1921 में, इसमें जहाँ केवल 3000 रोजगार था, वह 1981 में 1.67 लाख और 1998 में बढ़कर 2.06 लाख हो गया ।

the central city has concentrated in an unplanned manner resulting in congestion, encroachment on public land, traffic bottlenecks and parking problems, besides causing excessive noise in the area.

The major parts of the commodities, which are brought to Delhi, are distributed outside Delhi. The percentage of export items from Delhi were: vegetables and fruits-78%, fuel oil-49%, food grains-47% and iron and steel-44%. Due to the concentration of trade and commerce activities in Delhi, a regional imbalance has been created. The other towns of the region are lacking in economic activities with weak base.

The conventional approach to solve these problems has been the shifting and relocation of wholesale trade activities from the central area, mainly to the peripheral areas of Delhi and, in some cases, even to some regional towns within the NCR. Master Plan for Delhi-2001 has recommended decentralisation on the wholesale trade especially for space extensive materials to be located in the Central NCR towns of Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon, Kundli and Loni. In the Master Plan, simultaneous provisions have also been made for markets with the warehouses at Patparganj, Loni Road, Madanpur Khadar, Urban Extension, Najafgarh and northern part of the Urban Extension. In addition, Regional-cum-local district markets have also been suggested in Sub-CBD (Shahdara), Okhla, Rohtak Road District Centre, Shivaji Place District Centre, Wazirpur District Centre, Rohini District Centre and other small markets in the Urban Extension.

Keeping in view the fact that relocation of these activities in Delhi Union Territory would generate more employment opportunities and create congestion in the peripheral areas thereby creating a contiguous expansion, it would be appropriate that alternative additional wholesale markets are developed in the Central NCR towns and the Priority towns in the region and no more such activities are allowed within NCT-Delhi.

C) Government, Public Sector and Commercial/Corporate Offices

In Delhi, the employment in the government offices and PSUs has been increasing rapidly. The setting up of a large number of foreign embassies, foreign missions, research and cultural organisations has also had its distinct impact on the growth of the city. The employment in the various types of the government and quasi-government offices has been constantly increasing ever since 1921.

The employment in Central government offices, which was only 8,000 in 1921, grew to 2.25 lakhs in 1985. During 1941 to 1981, about two lakhs new jobs were added in this sector. The planned attempts to shift certain offices outside Delhi, have not made any dent in the situation. However, there had been a marginal decline in the employment in Central Government offices and it was almost stagnating in the last decade at 2.14 lakhs (1998).

The employment in Government undertakings was only 6,000 in 1961, which leaped to 1.41 lakhs in 1981, adding nearly 1.35 lakhs persons in just two decades. In the decade 1971-1981, about 85 thousand people were provided jobs in these undertakings, which means a total addition of roughly 4.25 lakhs population during the decade 1971-1981 through employment in PSUs alone. During 1981-1991 there has been an addition of 84 thousand jobs in this sector. The employment in this sector, however, declined to 2.05 lakhs in 1998.

The employment in Delhi Administration and local bodies largely grew with the size and enhanced responsibilities of the Administration and the local bodies with increasing overheads of servicing of metropolitan city. In 1921, it had a meagre 3,000 employment, which grew to 1.67 lakhs in 1981 and to 2.06 lakhs in 1998.

समय बीतने के साथ-साथ दिल्ली में निजी क्षेत्र के कार्यालयों, बैंकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों और उदारीकरण को गति प्रदान करने के कारण भारतीय बाजार के खुलने से इन निजी संस्थाओं को दिल्ली में स्थापित होने की प्रवृत्ति और जोर पकड़ेगी।

एन.सी.टी.-दिल्ली में कार्यालयों के उपयोग में योजनाबद्ध रूप से एक और सामुदायिक, डिस्ट्रिक्ट, सब-सिटी व सिटी केन्द्र में वाणिज्यिक/कार्यालयों के लिये जगहों और सीजीओ परिसर/स्कोप परिसर तथा दूसरी ओर गैर-वाणिज्यिक भवनों को अनाधिकृत रूप से इस कार्य के लिये अधिकृत करके व बाद में उनको भूमि/भवन रूपान्तरण करके नियमित करने के तरीकों को अपनाकर किसी भी हालत में इसकी वृद्धि को नहीं रोका जा सकता।

5.4 नीतियां

5.4.1 क्षेत्रीय स्तर की नीतियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए चार चिन्हित नीति क्षेत्रों में, संसाधनों की उपलब्धता, पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न प्रतिबंधों, भूमि और भौतिक अवसंरचना जैसे बिजली, पानी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए समुचित नीतिगत उपाय अपनाकर एक संतुलन प्राप्त किया जाना है।

क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के विकास की नीति में क्षेत्रीय योजना-2021, उप-क्षेत्रीय योजनाएं और कार्यात्मक योजनाओं के विभिन्न प्रस्तावों के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समग्र क्षेत्र के लिए एक एकीकृत योजना होनी चाहिए और योजना के व्यापक उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए इसका उप-क्षेत्रीय स्तर पर अनुसरण करना चाहिए। इसके दो लक्ष्य होने चाहिए-त्वरित आर्थिक वृद्धि और क्षेत्र का संतुलित विकास।

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन के लिए इसे कृषीय और उद्योग-पूर्व स्थिति से विविधता की ओर ले जाकर लोगों की उपार्जन क्षमता में वृद्धि के लिए निश्चित प्रयास किये जाने चाहिए। 2021 तक, 70% आबादी शहरों में रहने लगेगी। इससे गैर-कृषीय व्यवसाय मुख्यतः उद्योगों में और अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें यह क्षमता कई गुना ज्यादा है। इस उद्देश्य के लिए न केवल विद्यमान व एन.सी.टी.-दिल्ली के बाहर नये क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियां चालू करनी होंगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित विकास पर भी ध्यान देना होगा ताकि एक तरफ शहरीकरण को सहारा दिया जा सके और दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

इस क्षेत्र में, सामान्यतः भूमि कृषि के उपयुक्त है, इसलिए औद्योगिक/शहरी गतिविधियों के विकास के लिए स्थान का विवेकपूर्ण चुनाव करते वक्त क्षेत्र की विकास योजनाओं और स्थानीय पर्यावरण नियमों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहनों के अलावा क्षेत्र के कर और प्रशुल्क संरचना को भी सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र के संपूर्ण हितों और पारस्परिक लाभ के लिए दिल्ली और विभिन्न शहरों में करों को तर्कसंगत बनाए जाने की भी आवश्यकता है। इससे भी वस्तुओं का निर्बाध प्रवाह होगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

5.4.2 गतिविधि विशेष नीतियां

दिल्ली जैसे शहरों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोलने पर उनके क्षेत्रों को वैश्विक संदर्भ में योजनाबद्ध करने की आवश्यकता है। सरकार और अधिक खुली/बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है तथा इस ओर आर्थिक सुधार किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक संरचना में पर्याप्त बदलाव अपेक्षित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया और सरकार का आकार कम करना, इमदाद को खत्म करना, उद्योगों के लिए कर-प्रोत्साहन इत्यादि कुछ संबंधी विकास हैं जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन में सहयोग संभव होगा।

Over a period of time there had been a phenomenal growth of the private sector offices, banks, multinational companies (MNCs) etc. in Delhi. With the opening up of the Indian market because of the thrust of the Government on liberalisation and economic reforms the tendency of these private sector institutions to locate in Delhi will also further increase.

The continuous addition of office space in NCT-Delhi through planned commercial/office spaces in community, district, sub-city and city centres, and more institutional areas like CGO Complex/Scope Complex on the one hand and allowing unauthorized conversion of non-commercial buildings for this purpose followed by their regularization by permitting change in land/building use, can in no way stop this invasion.

5.4 POLICIES

5.4.1 Regional Level Policies

For the development of economic activities in the National Capital Region, a balance may have to be achieved by adopting appropriate policy measures in the four identified policy zones taking into account the availability of resources, constraints arising out of the environmental factors, land and physical infrastructure like power, water etc.

The policy of development of economic activities in the region should take into account the impact of various proposals made in the Regional Plan-2021, Sub-regional Plans and the Functional Plans. Moreover, it should be an integrated policy for the region as a whole and should be pursued at the Sub-regional levels so as to effectuate the broader objectives of the Plan. It should have the twin objectives of fostering rapid economic growth and achieving balanced development of the region.

There should be definite attempt to change the basic character of the regional economy from the agricultural and pre-industrial to more diversified one, in order to raise the earning capacity of the people. By 2021, nearly 70% of the population would be living in urban areas. This would entail the creation of more jobs in non-agricultural occupations, mainly in industry, which has a strong multiplier effect. For this purpose there should not only be an injection of additional activities in existing and new centres outside NCT-Delhi but also development of agro-based industries in rural areas in order to support urbanization on the one hand and to stabilize the rural economy on the other.

In the region, land is generally good for agriculture and hence selection of sites for the development of industrial/urban activities should be done judiciously in strict compliance to development plans of the area and local environment laws.

There is a need for streamlining not only the fiscal and other incentives given by the concerned State Governments but also tax and tariff structure in the region. It should also be possible to rationalise the taxes in Delhi and in the various towns for mutual benefits and in the overall interest of the region. This will also enable free flow of goods and encourage economic development.

5.4.2 Activity Specific Policies

Opening of cities like Delhi to the world economy has necessitated planning for their regions in the global context. With the thrust of the Government on more open/market driven economy and the economic reforms undertaken to this effect, a considerable reshuffling in the economic structure of NCR is expected. The process of privatization of PSUs and downsizing of government, elimination of subsidies and tax incentives for industry etc. are some of the related developments which will contribute to a change in the economic structure of NCR in a significant manner.

राष्ट्र की राजधानी होने के नाते दिल्ली, सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु है। राजधानी के विशिष्ट राजनैतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्य हैं जो इसे कुशल श्रमशक्ति, अच्छे भौतिक, सामाजिक और अन्य अवसरचनाओं के मामले में तुलनात्मक लाभ प्रदान करते हैं।

दिल्ली एक शहरी राज्य होने के नाते, विश्व अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक शहर के तौर पर देखा जा रहा है और शायद इसीलिए उन सेवाओं में इसकी बाजार में पहुँच पर ज्यादा जोर देना होगा जो आज विश्व की उन्नति में अग्रणी हैं। एक उभरते हुए वैश्विक शहर के रूप में देखने पर दिल्ली के आर्थिक अवसरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने संभव हैं। आने वाले दशकों में सेवा क्षेत्र पर, जो कि आज भी इसके सकल घरेलू उत्पाद का 80% है, जोर दिया जाएगा। चूंकि इसकी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान मिलने की संभावनाएं हैं, इसलिए यह समयोचित होगा कि कम जरूरतमंद आर्थिक गतिविधियों के संकेन्द्रण व वृद्धि के लिए दिल्ली में नये औद्योगिक क्षेत्रों, थोक बाजारों और कार्यालय की जगहों पर प्रतिबंध लगाकर, इन्हें रोकने की कार्यनीति अपनाई।

उपरोक्त के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाते समय इसके प्रबंधन में निम्नलिखित पैकेज एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

- i) आधुनिक अवसरचना और सेवाओं की वृद्धि के लिए निवेश पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि शहर को ई-गवर्नड, ई-सिटीजन और ई-सर्विसेज वाला शहर बनाया जा सके जिससे कि दिल्ली भारत का एक मॉडल ई-शहर और विदेशी निवेश का लक्ष्य बन सके।
- ii) शहर को मुख्यतः वस्तुओं, व्यक्तियों, वित्त, सूचना इत्यादि के संगम के तौर पर देखा जाना है। परिवहन के प्रभावशाली तरीके (सड़क, रेल, वायु) तथा अंत-मॉडल अंतरण नागरिकों की आय के लिए महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं अतः इन्हें यथोचित महत्त्व मिलना ही चाहिए।
- iii) सूचना क्रांति शहर की गतिविधियों में कई तरह के परिवर्तन ला रही है: कुछ मामलों में व्यापारिक तौर पर अनुपयुक्त सेवाओं को व्यापार योग्य बना रही है जैसे स्वास्थ्य, संस्कृति और उच्चतर अध्ययन सेवाएं। इससे उचित क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता महसूस होती है।
- iv) चूंकि शहरों के संयोजन और वितरण की भूमिका में खुदरा व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है अतः इसके वित्त, होटल, रेस्तरां और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए वही कार्यनीति तैयार की जाय जो सिंगापुर और हांगकांग के लिए थी ताकि इसे महत्वपूर्ण निर्यात उद्योग बनाया जा सके।
- v) सांस्कृतिक सेवाओं जैसे संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थलों, पुरावशेषों, थियेटर्स, फिल्म निर्माण, सिनेमा इत्यादि के विकास/वितरण को पर्यटन और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमण की गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
- vi) दिल्ली को एक प्रमुख वैश्विक शहर के रूप में उभारने के संबंध में इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और खेल-कूद का आयोजन करना होगा, जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवसरचना की आवश्यकता होगी।
- vii) हालांकि, दिल्ली में विनिर्माण गतिविधियों में कमी आ सकती है, लेकिन इससे पड़ोसी क्षेत्रों में नई अवस्थित/पुनर्वासित फ़ैक्ट्रियों की स्थापना से लेखाविधि, विधि, विज्ञापन, वित्त, अनुसंधान और विकास तथा परामर्श इत्यादि जैसी सेवाओं को यहाँ आकर्षित किया जा सकेगा। योजना बनाने की प्रक्रिया में इन गतिविधियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
- viii) केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के शहर, जो दिल्ली के पड़ोस में होने के कारण निवेश लक्ष्य के आकर्षण के तौर पर उभर रहे हैं, इन कार्यों के पूरक के तौर पर कार्य कर सकते हैं। ये शहर और रा.रा.क्षे. का बचा भाग अपने तुलनात्मक लाभों पर निर्भर करते हुए हर तरह की आर्थिक गतिविधियों और हरित क्षेत्र परियोजनाओं में प्रवृत्त हो सकते हैं।

Delhi, the Capital city of the nation, is the focal point of its socio-economic and political life. There are functions political, cultural and administrative peculiar to a Capital which accord it comparative advantage in terms of availability of skilled manpower, good supporting physical, social and other infrastructures.

Delhi, being a city state and opening up as a global city in the world economy, more stress may have to be laid on market access in services which is largely driving global growth today. While seeing it in the perspective of an emerging global city, the economic structure in Delhi is likely to undergo a considerable change in the coming decades with an emphasis on the service sector, which already contributes 80% to its GDP. Since the trade in services is expected to have an eminent place in its economy, it is expedient to adopt strategies in order to restrict the concentration and proliferation of less desirable economic activities by banning new industrial areas, wholesale markets and office spaces in Delhi.

The following package outlines an important part of what is broadly involved in the management of NCR, in the forms of planning required in the above context.

- i) Emphasis on investment for the growth of modern infrastructure and services to make the city eventually an e-governed, e-citizen and e-services city so that Delhi becomes the model e-city of India and a destination for foreign investment.
- ii) The city is to be seen as essentially a junction in flows of goods, people, finance, information, etc. The efficient functioning of the modes of transport (road, rail, air) and of inter-modal transfers has become increasingly important in the generation of income of the citizens, and as such should be accorded due importance.
- iii) The information revolution is simultaneously transforming several city activities in many ways: changing in some cases non-tradable services into tradable, for example, health, cultural, higher educational services. This necessitates investments in the appropriate sectors.
- iv) Since retail shopping becomes a key sector relating to the junction and distributional role of cities, to finance, to hotels and restaurants and to tourism, strategies for the expansion of these facilities, as done in Singapore and Hong Kong should be evolved to make it an important export industry.
- v) Development/delivery of cultural services like museums, historic sites, antiques, theatres, film making, cinemas etc., as part of the activities underpinning tourism and other international travel.
- vi) Related to Delhi's emergence as a leading global city is its role in hosting international conferences and sports events, amongst others, which will necessitate an infrastructure of global standards.
- vii) Although Delhi may lose manufacturing activity, but will attract services like accountancy, law, advertising, finance, research and development, consultancy etc. for the factories located/relocated in the green field sites in the neighbouring areas. Adequate provisions for these activities need to be provided in the planning process.
- viii) The Central NCR towns, which have emerged as attractive investment destination because of their proximity, may act as complementary to Delhi in performing these functions. These towns and the rest of NCR may go for inducement of the all types of economic activities and green field projects depending on their comparative advantage.

क) उद्योग

i) एन.सी.टी.-दिल्ली

दिल्ली जैसे शहर में ऐसी औद्योगिक नीति अपनानी चाहिए, जो उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुखी, प्रदूषण रहित, संवेदनशील, उच्च मूल्योत्पादक हो। इस संदर्भ में, दिल्ली में उद्योग लगाने के लिए प्राथमिकता नियत निवेश सीमा नहीं बल्कि सीमित जगह की उपलब्धता, बड़े पैमाने पर औद्योगिक अप्रवास, प्रदूषण और पहले ही चरमरा रही नागरिक सुविधाओं पर पड़ने वाला और अधिक दबाव होना चाहिए। जीवन स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने और अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण और स्तरीय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह परमावश्यक है कि वे सभी विनिर्माण गतिविधियां, जिनमें आवासीय क्षेत्रों की अपेक्षा बिजली, पानी इत्यादि की खपत ज्यादा हो, को अनुमति प्रदान नहीं की जाए।

इन विचारों के साथ दिल्ली को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित तत्व हों:

- केवल उन्हीं उद्योगों को दिल्ली में बने रहने की अनुमति दी जाए जो विपणन और/अथवा विपणन संबंधी गतिविधियों और दिल्ली की जनसंख्या की उपभोक्ता आवश्यकताएं पूरी करती हों।
- इनमें रिहायशी क्षेत्रों के मानक के अनुसार अनुज्ञेय नागरिक सेवाओं अर्थात् बिजली, पानी इत्यादि से अधिक खपत की अनुमति नहीं दी जाए।
- उद्योगों को स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञों द्वारा यथानिर्धारित मानकों को पूरा करना चाहिए।
- केवल उच्च-प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को ही दिल्ली में अनुमति दी जाए।
- वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में निम्नस्तरीय-प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी में बदला जाना चाहिए और एक निश्चित समय-सीमा के पश्चात् ऐसा न कर सकने वाले उद्योगों को समयबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए।
- एन.सी.टी.-दिल्ली में नए औद्योगिक क्षेत्र न बनाए जाएं।

ii) केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

- केन्द्रीय रा.रा.क्षे. शहरों के दिल्ली के नज़दीक स्थित होने के कारण किसी भी खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को केन्द्रीय रा.रा.क्षे. में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- उच्च-प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को केन्द्रीय रा.रा.क्षे. में पनपने दिया जाना चाहिए।
- 1986 के पहले से चल रहे उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुरूप होने को बाध्य किया जाना चाहिए।

iii) शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, के.रा.रा.क्षे. के बाहरीय क्षेत्र

- प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिए चयनित शहरों में मजबूत औद्योगिक आधार होना चाहिए और सभी तरह के उद्योगों को अवसरचना जैसे बिजली, पानी, मल, जल-निकास, सी.ई.पी.टी. आदि के सृजन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के बाहरी क्षेत्र में आधुनिक औद्योगिक नगर क्षेत्रों/इलाकों का विकास किया जाना चाहिए।
- एन.सी.टी.-दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित की जाने वाली प्रदूषण फैलाने वाली, खतरनाक, भारी व बड़े और अस्वीकारात्मक उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के बाहरी क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए।

ख) थोक व्यापार और वाणिज्य

i) एन.सी.टी.-दिल्ली

पड़ोसी राज्यों की तुलना में दिल्ली में थोक व्यापार के लिए प्रोत्साहन के तौर पर अधिमान्य व्यवहार या कमतर करों के रूप में कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। प्लास्टिक और पीवीसी सामान, रसायन, लकड़ी, खाद्यान्न, लोह और इस्पात और भवन निर्माण सामग्री का थोक व्यापार, जो पूरे रा.रा.क्षे. और इसके बाहर फैला हुआ है और जिसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए दिल्ली के बाहर उपयुक्त स्थान का चुनाव किया जाना चाहिए। एन.सी.टी.-दिल्ली में निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए थोक बाजार नहीं बनाए जाने चाहिए।

A) Industry

i) NCT-Delhi

A city like Delhi should opt for an industrial policy, which is highly technology intensive, non-polluting, sophisticated, and high value addition generating. In this context, the primary consideration for location of industry in Delhi should not be the fixed investment limit but should be the limited availability of space, industry related large scale immigration, pollution and strain on already deficient civic services. In order to maintain quality of life and to provide its citizens a better living in terms of clean environment and adequate level of civic services, it becomes imperative that all those manufacturing activities which demand consumption of services viz., power, water, etc. higher than what is permissible in the residential areas should not be allowed.

With these considerations, Delhi should follow a policy which has the following elements:

- Only those industries, which are required, either for marketing and market related activities and/or for providing consumer needs of Delhi's population may be allowed to continue in Delhi.
- The requirements on civic services viz., power, water etc. should not exceed the standards and norms permissible for the residential areas.
- The industries should meet the standards laid down by the local pollution control authorities.
- Only hi-tech industries should be allowed in Delhi
- In the existing industrial areas low-tech industries should be transformed into hi-tech and those which are unable to do so within a reasonable time should be phased out.
- No new industrial area to be created in NCT-Delhi.

ii) Central NCR

- Owing to the location of Central NCR towns adjacent to Delhi, no hazardous, polluting industry should be allowed in Central NCR.
- Hi-tech industries should be allowed to flourish in Central NCR.
- The industries existing before 1986 should be made to conform to Environment Protection Act, 1986.

iii) Rest of NCR outside Central NCR

- The towns selected for priority development should have a strong industrial content, and incentives should be given to all types of industries for creation of infrastructure such as power, water, sewage, drainage, CEPT etc.
- Modern industrial townships/estates should be developed in the area outside Central NCR.
- Specific areas should be earmarked in the region outside the Central NCR for relocation of polluting, hazardous, heavy and large and non-conforming industries proposed for shifting out of NCT-Delhi.

B) Wholesale Trade and Commerce

i) NCT-Delhi

There should not be any special advantage in terms of preferential treatment or lower taxes by way of incentives to wholesale trades in Delhi vis-à-vis the adjoining States. Wholesale trading in plastic and PVC goods, chemicals, timber, food grains, iron and steel and building materials which caters to the whole of NCR and beyond and requiring extensive space may be decentralised by developing suitable additional locations outside Delhi for the purpose. No new wholesale market for any of the following purposes should be established in NCT-Delhi.

- एन.सी.टी.-दिल्ली के थोक बाजारों की गतिविधियों अर्थात् फल और सब्जी बाजारों, लोह और इस्पात बाजारों इत्यादि का विस्तार।
- एन.सी.टी.-दिल्ली के केन्द्रीय/संकरे क्षेत्रों जैसे पुरानी दिल्ली की अनाज मंडी में बसे लोगों इत्यादि, जिन्हें दिल्ली के बाहर पुनः बसाना है, का स्थानान्तरण ।

सभी नए बाजारों को एन.सी.टी.-दिल्ली के बाहर रा.रा.क्षे. में उचित जगहों पर बसाया जाना चाहिए और उन्हें संचालित करने के लिए उचित विधान जैसे विशिष्ट वस्तु विपणन अधिनियम के जरिये समूचे रा.रा.क्षे. में भागीदारी राज्यों के सहयोग से अधिनियमित किया जाना चाहिए ।

ii) केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली में कतिपय थोक व्यापार और भंडारण हैं जो पीवीसी सामानों, रसायन, लकड़ी, खाद्यान्न, लोह और इस्पात व भवन निर्माण सामग्री जैसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं और ये घनी आबादी से घिरे होने के कारण खतरनाक हो सकते हैं । इनके थोक व्यापार और संबंधित गतिविधियों के लिए केन्द्रीय रा.रा.क्षे. में सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए ।

iii) शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर व्यापार केन्द्रों को प्रोत्साहित करने और उनके त्वरित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रीय शहरों में अवसरचन्नात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ।

ग) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और वाणिज्यिक निगमित (कारपोरेट) कार्यालय

i) एन.सी.टी.-दिल्ली

राजधानी में कार्यालयों के अवस्थित होने का प्रमुख मानदण्ड यह होना चाहिए कि उन्हें ऐसे मंत्रालयिक प्रकार्यों, विज्ञप्ति प्रकार्यों या संपर्क प्रकार्यों को करना पड़ता है जो स्वभावतः राष्ट्रीय राजधानी के अलावा अन्यत्र कहीं भी संपादित नहीं किए जा सकते। वर्तमान कार्यालयों में से, जो भी उपरोक्त प्रकार्यों में से कोई भी कार्य नहीं करते, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें एन.सी.टी.-दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित कर देना चाहिए । इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों को मंत्रालयिक और संपर्क प्रकार्यों के लिए बहुत ही छोटा प्रतिष्ठान यहाँ रखना चाहिए । उनका बकाया प्रतिष्ठान एन.सी.टी.-दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित कर देना चाहिए । नए विकसित किए जाने वाले किसी भी सामुदायिक, डिस्ट्रिक्ट अथवा सब-सिटी और सिटी केन्द्र में कार्यालयों के लिए कोई जगह नहीं रखी जानी चाहिए । उनकी भूमिका केवल हर तरह की खरीदारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की होनी चाहिए । भूमि/भवन उपयोग के अनधिकृत परिवर्तनों पर कठोर निर्माण नियंत्रण लागू होने चाहिए । उन्हें किसी भी तरह नियमित नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार और कोई अन्य संगठन, निकाय अथवा प्राधिकरण, जिसे अतिरिक्त जगह चाहिए, को एन.सी.टी.-दिल्ली के बाहर रा.रा.क्षे. में और काउंटर मैगनेट क्षेत्र (सी.एम.ए.) में जगह दी जानी चाहिए ।

ii) केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिन्हें ऐसे मंत्रालयिक, विज्ञप्ति अथवा संपर्क प्रकार्यों को करना होता है और जिन्हें इसके लिए दिल्ली में ही रहना अनिवार्य है, को ही पुनर्वास अथवा विस्तार के लिए केन्द्रीय रा.रा.क्षे. शहरों में अवस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए । नए सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा वर्तमान कार्यालयों के विस्तार के लिए उन्हें रा.रा.क्षे. के बचे हिस्सों/रा.रा.क्षे. के बाहर काउण्टर मैगनेट क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii) शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

वे सरकारी कार्यालय, जिन्हें दिल्ली और केन्द्रीय रा.रा.क्षे. शहरों से बाहर शिफ्ट किया जाना है, को रा.रा.क्षे. के अन्य शहरों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और उन्हें दिल्ली के कर्मचारियों की तरह ही सी.सी.ए., एच.आर.ए. आदि प्रोत्साहन के रूप में कुछ समय तक के लिए दिये जाने चाहिए । दिल्ली के बाहर स्थानान्तरण से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को अन्य प्रोत्साहन जैसे सरकारी आवास, बच्चों के लिए अध्ययन भत्ता आदि भी दिए जाने चाहिए ।

- Expansion of activities in wholesale markets of NCT-Delhi e.g. fruit and vegetable markets, iron and steel market etc.
- Resettling the oustees from markets required to be shifted from central/congested areas of NCT-Delhi e.g. grain market in old Delhi etc.

All new markets should be located at suitable locations outside NCT-Delhi in NCR and for making them operational proper legislation like the specified commodities marketing act for the entire NCR needs to be enacted with the concurrence of the participating States.

ii) Central NCR

There are certain wholesale trades and storages in Delhi which involve bulk handling of commodities such as PVC goods, chemical, timber, food grains, iron and steel and building material and are hazardous in nature by virtue of their location in congested localities. Facilities for the functioning of these wholesale trades (as well as others) and related activities should be developed in Central NCR.

iii) Rest of NCR

Incentives for provision of infrastructure facilities should be made available in the various regional towns in order to encourage and accelerate the growth of trade centres on a wider scale within NCR.

C) Government, Public Sector and Commercial/Corporate Offices

i) NCT-Delhi

The main criterion for location of offices in the Capital should be that they perform ministerial functions, protocol functions or liaison functions, which, by their nature, cannot be performed anywhere else except in the national Capital. The existing offices, which do not perform any of the above functions, should be identified and shifted from NCT-Delhi. Similarly, the public sector offices should be allowed to retain only very small establishments to cater for ministerial and liaison functions. The rest of the establishments should be shifted out of NCT-Delhi. No new office spaces should be created in newly developed community, district or sub-city and city centres. Their role should be limited to providing all levels of shopping facilities. Strict building control should be exercised over unauthorized change of land/building use. No regularization thereof should be allowed. The Central Government and any other organization, body or authority requiring additional space should be allowed to do so only outside NCT-Delhi in NCR and beyond in Counter Magnet Areas (CMAs).

ii) Central NCR

Relocation or expansion of government offices/PSUs which need to perform such ministerial, protocol or liaison functions which make it incumbent upon them to be located in Delhi, alone should be allowed to be located in the Central NCR towns. The opening of new government offices/PSUs or expanding the existing ones should be encouraged in the rest of NCR/CMAs outside NCR.

iii) Rest of NCR

The Central government offices which are considered for being shifted from NCT-Delhi and the Central NCR towns should be located in other towns of NCR and incentives in the form of CCA, HRA etc., as given to employees working in Delhi, should be given to employees who may be affected by this shifting for a limited period. Other incentives like providing government accommodation, allowances for study of their children etc., should also be given.

5.5 कार्यनीतियां

5.5.1 क्षेत्रीय स्तर की कार्यनीतियां

i) एकल आर्थिक क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

चूंकि रा.रा.क्षे. एक अंतर्राज्यीय क्षेत्र है अतएव बार-बार यह महसूस किया गया है कि राज्यों को प्रशुल्क और करों के भिन्न संरचनाओं को बनाने में जो स्वतंत्रता मिली हुई है और जिस तरह उन्होंने अपने स्थानीय करों/प्रशुल्क दरों को लागू किया है, उससे आर्थिक अवसरों में काफी असमानताएं पैदा हो सकती हैं और वास्तव में काफी मामलों में ऐसा हुआ भी है जो लोगों के पसंद को प्रभावित करते हैं और इससे व्यापार और निर्माण गतिविधियों में दिक परिवर्तन हुआ है। यह स्थिति, रा.रा.क्षे. योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है, जिसमें आत्मनिर्भर क्षेत्रीय शहरों में, आर्थिक गतिविधियों का फैलाव, क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क का पुनः निर्माण, एकीकृत अवसररचनात्मक विकास इत्यादि प्रस्तावित हैं।

जब भी इस क्षेत्र के संतुलित और चहुंमुखी विकास का प्रयास होता है, यह आवश्यक है कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक पहलू को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में देखा जाय और ऐसे मतभेदों को समाप्त करके रा.रा.क्षे. को आर्थिक तौर पर एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में देखा जाए। हालांकि इसके विभिन्न भाग विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत आते हैं, फिर भी इस क्षेत्र के उचित विकास के लिए, इसकी राजकोषीय नीतियों में एकरूपता लाने और उसे संघटक राज्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। रा.रा.क्षे. में सभी राजकोषीय/भौतिक व्यवधान हटाकर इसे एक आर्थिक जोन-एक साझा मंडी (मार्केट)-एक अवसर जोन और एक समान कर और प्रशुल्क संरचना बनाए जाने की जरूरत है।

केवल राजकोषीय नीति में एकरूपता से 'साझा आर्थिक जोन' की अवधारणा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मूल सिद्धान्त यह है कि रा.रा.क्षे. के सभी भागों के भौतिक अवसररचना में एकरूपता लाई जाए। एकल 'साझा आर्थिक जोन' की अवधारणा में उन सारे मुद्दों को शामिल किया जाना है जहाँ पर रा.रा.क्षे. के संघटक राज्यों के अधीन भौतिक अवसररचनाओं की उपलब्धि में विसंगतियां प्रमुख रूप से विद्यमान हैं और वे रा.रा.क्षे. में संतुलित और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुरूप नहीं हैं (बाक्स 5.3)।

बॉक्स 5.3

साझा आर्थिक जोन की संभावना

- § कर संरचना को तर्कसंगत बनाया जाना
- § पूरे रा.रा.क्षे. में समान वित्तीय/बैंकिंग सेवाओं का विस्तार
- § एकीकृत रेल और सड़क परिवहन नेटवर्क
- § रा.रा.क्षे. राज्यों के बीच टैक्सियों और ऑटोरिक्शा पर अंतर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंध हटाना
- § पूरे रा.रा.क्षे. में एक समान दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराना
- § एक समान विद्युत आपूर्ति
- § रा.रा.क्षे. के लिए एक एकीकृत जल आपूर्ति और निकासी प्रणाली का विकास
- § एकीकृत शिक्षा नीति
- § एकीकृत स्वास्थ्य नीति
- § प्रदूषण नियंत्रण के लिए एकीकृत उपाय
- § एकीकृत कानून और व्यवस्था यंत्रावली
- § भागीदारी राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की उप-अवयव योजनाओं में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रावधान

ii) आधुनिक औद्योगिक इलाकों/नगर क्षेत्रों का विकास

उद्योग के लिए सभी आवश्यक अवसररचना के साथ आधुनिक औद्योगिक इलाकों/नगर क्षेत्रों का विकास केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इन इलाकों/नगर क्षेत्रों में उद्यमियों को त्वरित भूमि आबंटन के लिए सरल सुस्पष्ट प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ताकि इन परियोजनाओं के शुरू होने में कोई देरी न हो। शुरूआत में ही औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवश्यक आवास और अन्य सामाजिक अवसररचनाएं मुहैया कराने के तात्कालिक प्रयास भी किए जाने चाहिए ताकि उन्हें अनाधिकृत कालोनियों में शरण लेने के लिए बाध्य न होना पड़े जो कि आगे चलकर मलिन बस्तियों (स्लम) में तबदील हो जाती है।

5.5 STRATEGIES

5.5.1 Regional Level Strategies

i) NCR as Single Economic Zone

Since NCR is an inter-state region it has been felt time and again that the freedom that the States have exercised in fashioning different structures of tariffs and taxes and levying various rates within their local tax/tariff laws can lead to, and in fact in large number of cases have led to, significant differences in economic opportunities which in turn influences choice of people and causes diversion of trade and manufacturing activities. This situation, therefore, is not in consonance with the objectives of the NCR Plan, which proposes dispersal of economic activities over self-contained regional towns, restructuring of the regional transport network, integrated development of the infrastructure etc.

When one attempts to bring about balanced and dispersed development of the region it is imperative to look at NCR as a unified area in economic terms and to smoothen out/eliminate such differences so as to look at NCR as a unified area in economic terms. In spite of constituent parts belonging to different States, for the proper development of the region, there is a need for achieving uniformity in the fiscal policies to be adopted by the constituent States. What needs to be done is to remove all fiscal/physical barriers in NCR to make it One Economic Zone-One Common Market-One Opportunity Zone with a uniform tax and tariff structure.

Uniformity in fiscal policy alone would not be enough to attain the objectives of achieving the concept of 'Common Economic Zone'. The fundamental principle is to make uniformity in the availability of physical infrastructure in all the constituent parts of NCR. The concept of a single 'Common Economic Zone' shall, therefore, also cover those issues where the disparities in the availability of physical infrastructure within the constituent States of NCR are prominent and are not conducive in pursuing the objective of achieving balanced and harmonised development in NCR (refer Box 5.3).

Box 5.3

SCOPE OF COMMON ECONOMIC ZONE

- § Rationalisation of Tax Structure
- § Extending Uniform Financial/Banking services throughout NCR
- § Integrated Rail and Road Transport Network
- § Removing the restrictions on Inter-State movement of taxis and auto-rickshaws between the NCR States
- § Providing Uniform Telecom Facilities throughout the NCR
- § Uniform Power Supply
- § Developing an Integrated Water Supply and Drainage System for NCR
- § Integrated Education Policy
- § Integrated Health Policy
- § Integrated approach for Pollution Control
- § Integrated Law and Order Machinery
- § Provision of adequate financial Resources in Sub-component Plans of participating States and concerned Central Ministries.

ii) Development of Modern Industrial Estates/Townships

Modern Industrial Estates/Townships with all the necessary infrastructures for industry should be developed in NCR outside Central NCR. Simple streamlined procedure should be adopted for the expeditious allotment of land to entrepreneurs in these Estates/Townships so that there is no delay in commissioning of the projects. Simultaneous efforts to provide necessary housing and other social infrastructure should also be made for the industrial workers in the very beginning so that they are not forced to take shelter in unauthorised colonies which may later grow into slums.

iii) एकल विंडो सुविधा

पंजीकरण, वित्त पोषण और औद्योगिक विनियामक उपायों के लिए एकल विंडो प्रणाली स्थापित किया जाना चाहिए।

iv) उदार प्रोत्साहन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के लिए अवसंरचना सृजित करने के लिए उदार प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जैसा कि राज्यों के औद्योगिक नीति रूपरेखा में दिया गया है।

v) ग्रामीण औद्योगीकरण

दिल्ली की आबादी में तेजी से वृद्धि मुख्यतः उन आप्रवासी व्यक्तियों के कारण हुई है जो ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं, जहाँ रोजगार सृजित करने की क्षमता या तो समाप्त हो चुकी है या इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। अतः, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि एक तरफ तो रा.रा.क्षे. के शहरीकरण को समग्रतः सहायता पहुँचे और दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। आगे चलकर इससे ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली की तरफ लोगों के पलायन को रोका जा सकेगा। अध्ययनों से यह पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निचले क्रम की बस्तियों में (सेवा केन्द्र व मूल गांव) पर्याप्त स्थानीय कौशल जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा बुनाई, चमड़े के कार्य, मूर्तिकारी, कालीन की बुनाई इत्यादि मौजूद है, जिसे अगर सही ढंग से संपोषित किया जाय तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकता है और दिल्ली पलायन की सोचने वालों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं।

vi) प्रशिक्षण और कुशलता उन्नयन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विविधीकरण और विस्तार की मांग के कारण, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढीकरण और स्तरोन्नयन की तत्काल आवश्यकता है। नये पाठ्यक्रमों की शुरुआत, विशेषतः उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, विनियामक नियंत्रण, समान मानकों और पाठ्यक्रमों का पर्यवेक्षण और रख-रखाव, विशेषतः निजी संस्थाओं में, ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।

5.5.2 क्षेत्र विशेष की कार्यनीतियां

अ) एन.सी.टी.-दिल्ली

महत्वपूर्ण क्षेत्र

(क) सेवा क्षेत्र

दिल्ली के एक वैश्विक/अंतर्राष्ट्रीय शहर बनने की प्रक्रिया में, शहर के सेवा क्षेत्र पर ध्यान बढ़ गया है जैसा कि आगे के पैरा में सुस्पष्ट किया गया है। यह शहर की आय निर्धारित करने का महत्वपूर्ण घटक है। इसको इस तथ्य से भी सत्यापित किया जा सकता है कि दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 80% है, जिसके गुणात्मक वृद्धि और सेवा के प्रभावी करादोहन के कारण कई गुणा बढ़ने की संभावनायें हैं। सेवा क्षेत्र के पक्ष में दिल्ली के आर्थिक संरचना के अन्तरण से इसे अतिरिक्त लाभ होने वाला है क्योंकि इसकी कुशल श्रम शक्ति के उपयोग से बाहरी अकुशल श्रमिकों का अप्रवास प्रतिबंधित हो जाएगा। अब इस पर और जोर देने की जरूरत नहीं है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में दिल्ली सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का केन्द्र होगा और तदनुसार इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष तरह की अवसंरचना के विकास पर जोर देना होगा। सेवा क्षेत्र को आसानी से आवासीय क्षेत्रों में संचालित करने की इजाजत दी जा सकती है बशर्ते यह उस क्षेत्र की बिजली, पानी आदि के उपयोग के निर्धारित मानकों की सीमा में कार्य करे।

(ख) उच्च-प्रौद्योगिकी वाले उद्योग

दिल्ली में उच्च-प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संसाधन और सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं (बाक्स 5.4)।

- i) आई.आई.टी., डी.सी.ई. और अन्य तकनीकी संस्थाओं के यहाँ अवस्थित होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति।

iii) Single Window Facility

Single window system of registration, financing and industrial regulatory measures should be set up.

iv) Liberal Incentives

In order to encourage the industries to be located in NCR, liberal incentives in terms of creating infrastructure should be given to the new units as provided in the industrial policy framework of the States.

v) Rural Industrialisation

The rapid growth of population of Delhi is mainly due to immigration of people in search of employment from the rural areas where the capacity to generate employment is either exhausted or under-utilised. Thus, there is a need to develop agro-based industries in the rural areas in order to support urbanisation in NCR as a whole on the one hand and to stabilise the rural economy on the other. In the long run this will prevent exodus of people from rural areas to Delhi. Studies have shown that the lower order settlements in NCR (service centres and basic villages) have enough localised traditional skills like potteries, handloom weaving, leather work, murtikari, carpet weaving etc., which if properly nurtured can play the role of a vibrant component of the rural economy and provide gainful employment to potential migrants to Delhi.

vi) Training and Skill up-gradation

In view of the demand for diversification and expansion of industrial activities in NCR, there is an immediate need of strengthening and upgrading the training facilities in the region. Introduction of new courses, specially in hi-tech areas, regulatory controls, supervision and maintenance of uniform standards and curricula, particularly in privately run institutions are some of the areas which need consideration.

5.5.2 Area Specific Strategies

A) NCT-Delhi

Thrust Areas

(a) Service Sector

In the process of Delhi emerging as a global/international city, the thrust on the service sector, as highlighted in the foregoing paragraphs, has become a crucial element in determining the income of the city. It could further be justified given the fact that the contribution of the service sector in Delhi's GDP has already touched about 80%, which with the value addition and effective taxation of services, is likely to multiply enormously. The transition of the economic structure of Delhi in favour of the service sector would have an added advantage of utilizing its skilled employment thereby also restricting the entry of unskilled migrant labour. It need not be stressed further that in the changed environment, Delhi would be a hub of a large number of service related activities and accordingly this factor needs to be taken care of by emphasizing a particular endowment of infrastructure which facilitates growth of this sector. The service sector could be suitably allowed to operate in residential areas provided it functions within the norms permissible for the consumption of power, water etc. in these areas.

(b) Hi-tech Industries

Delhi has the following resources and facilities readily available for promotion of hi-tech industries (refer Box 5.4).

- i) Highly qualified manpower because of location of IIT, DCE and other technical institutions.

- ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणवत्ता के अनेक केन्द्र जैसे-एन.पी.एल., एन.आई.सी., सी.डॉट., सी.एस.आई.आर. दिल्ली में अवस्थित हैं और ये उद्योगों व अनुसंधान और विकास केन्द्रों के बीच तीव्र और आसान संपर्क उपलब्ध करा सकते हैं ।
- iii) दिल्ली राष्ट्रीय दूर संचार नेटवर्क का महत्वपूर्ण केन्द्र है ।
- iv) दिल्ली में दूतावासों के अवस्थित होने से प्रौद्योगिकी के निर्यात/आयात में सुविधा होगी ।

बॉक्स 5.4	
उच्च-प्रौद्योगिकी में प्रभावी वृद्धि क्षेत्र	
i)	कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर उद्योग और कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम इंटीग्रेशन करने वाले उद्योग ।
ii)	पैकेजिंग ।
iii)	कम्प्यूटर व टेलीकाम सुविधाओं के इंटरफेसेज का एकीकरण एवं संचालन करने वाले उद्योग ।
iv)	पूरे विश्व में फैले आकड़ा संचय अथवा आकड़ा संचय तक पहुँच उपलब्ध कराने वाले उद्योग ।
v)	सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अथवा सभी उपकरणों की बारीक जाँच सुविधा उपलब्ध कराने वाले उद्योग।
vi)	इलेक्ट्रॉनिक सामान ।
vii)	टी.वी. व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सर्विस और मरम्मत ।
viii)	फोटो कंपोजिंग और डेस्क टाप पब्लिकेशन ।
ix)	टी.वी. और वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन ।
x)	टेक्सटाइल डिजाइनिंग और फैब्रिक टेस्टिंग इत्यादि
xi)	बायो- टेक्नोलोजी
xii)	दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें
xiii)	रत्न व जेवरात

(ग) गृह उद्योग

चूंकि गृह उद्योग, दिल्ली की आबादी की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराते हैं अतएव उन्हें रिहायशी इलाकों में चलाने की अनुमति होनी चाहिए बशर्त वे प्रदूषण न फैलाते हों और निर्धारित मानकों को पूरा करते हों ।

संपर्क उपलब्ध कराने के लिए फ्रन्ट आफिस की स्थापना

दिल्ली के प्रमुख विपणन केन्द्र, उत्तरी भारत की वित्तीय राजधानी और केन्द्रीय सरकार की गद्दी होने के नाते, प्रत्येक उद्योग यह चाहता है कि उसका मुख्यालय दिल्ली में हो ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार और संपर्क कार्य सुगमता से निपटाया जा सके । यह वांछित है कि, उद्योगों को दो इकाईयों में बांटा जाये जहाँ उनका मुख्य उद्योग रा.रा.क्षे. के शहरों में अवस्थित हो और उनका मुख्यालय दिल्ली के अन्दर अवस्थित हो ।

संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

अपने अनुभव और विशेषज्ञता के कारण दिल्ली को रा.रा.क्षे. के औद्योगिक विकास में भाग लेना चाहिए । दिल्ली प्रशासन को पड़ोसी राज्यों के प्रतिरूप अभिकरणों (यू.पी.एस.आई.डी.सी., एच.एस.आई.डी.सी. और आर.आई.आई.सी.ओ.) के साथ ‘संयुक्त रूप’ से परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डी.एस.आई.डी.सी.) और दिल्ली वित्त निगम (डी.एफ.सी.) के कार्य क्षेत्र को इन राज्यों में अपने कार्य करने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए ।

निम्नस्तरीय-प्रौद्योगिकी से उच्च-प्रौद्योगिकी में अन्तरण

वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के निम्नस्तरीय-प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को उच्च-प्रौद्योगिकी में क्रमबद्ध ढंग से परिवर्तित कर देना चाहिए ।

- ii) A large number of centres of excellence in the field of science & technology like NPL, NIC, C-DOT, CSIR, etc. are located in Delhi and can provide for quick and easy interaction between the industry and the R&D centres.
- iii) Delhi is one of the important hub centres of National Telecom Network.
- iv) Location of all embassies in Delhi will give an edge to the exports/imports of technology.

<p>Box 5.4</p> <p style="text-align: center;">POTENTIAL GROWTH AREAS IN HI-TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Computer hardware & software industry and industries doing system integration using computer hardware and software. ii) Packaging iii) Industries integrating & manipulating the interfaces of the computers and telecom facilities. iv) Industries catering to the information needs of users by providing databases or access to databases spread throughout the globe. v) Industries providing the facilities for sophisticated testing of different or all components of the information technology. vi) Electronic goods. vii) Service & repair of TV and other electronic items. viii) Photo composing and Desk Top Publication. ix) TV and Video programme production. x) Textile designing and Fabric Testing etc. xi) Bio-technology xii) Telecommunications and IT enabling services xiii) Gems and Jewellery
--

(c) Household Industry

Household industries, since they are required either for providing or servicing the day-to-day needs of Delhi's population, should be allowed to operate in the residential areas provided they are non-polluting and fulfil the prescribed norms.

Setting up of Front Offices to provide linkages

Delhi being the major marketing outlet, the financial capital of north India and the seat of the Central Government, every industry wants to have a front office here, from where all national and international transactions and liaison work can be handled. As such, it is desirable to have split units of industries where the main industry can be located in NCR towns while their front offices can be located within Delhi.

Joint Venture Projects

Delhi, with its experience and expertise, should participate in the industrial development in NCR. The Delhi Administration should take up projects on 'joint venture' basis with the counterpart agencies (UPSIDC, HSIDC and RIICO) of the participating States. For this purpose, the jurisdiction of the Delhi State Industrial Development Corporation (DSIDC) and Delhi Finance Corporation (DFC) should be enlarged to cover their area of operation in these States.

Transforming from low-tech to hi-tech

In the existing industrial areas the low-tech industries should be transformed to hi-tech in a phased manner.

बहुमंजिली इमारतों वाले उद्योग

जमीन और सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए बहुमंजिली इमारतों वाले उद्योग परिसरों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

अस्वीकारात्मक इकाइयों को दूसरी जगह स्थानान्तरित करने के लिए एक समान विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अस्वीकारात्मक इकाइयों को अन्यत्र ले जाने के लिए दिल्ली और रा.रा.क्षे. शहरों में उपलब्ध जगह का एक ही इतिहास निकलना चाहिए ताकि उद्यमियों को उपलब्ध जगहों में उचित विकल्प चुनने का अवसर प्राप्त हो सके । उद्योगों को पुनर्स्थापित करने की जो सुविधाएं उन्हें दिल्ली में दी जानी हैं, वही अन्य शहरों में भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

ख) दिल्ली को छोड़कर शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

प्रस्तावित स्थल

उद्योग

अनुमानित विकास के लिए क्षेत्रीय योजना में चयनित केन्द्रीय रा.रा.क्षे. के शहर और क्षेत्रीय केन्द्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुने गए हैं और इनमें मजबूत औद्योगिक आधार का होना प्रस्तावित है । इसके अलावा ऐसे उप-क्षेत्रीय केन्द्र, जिनकी उप-क्षेत्रीय योजनाओं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जानी है, में पहचान की जानी है, औद्योगिक केन्द्रों के प्रथम चरण का काम भी करेंगे ।

विकास की कार्यनीति में निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं:

- इन जगहों को आदर्श औद्योगिक क्षेत्रों/विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) के रूप में विकसित किया जाए (बाक्स 5.5) जिसमें निर्बाध बिजली की सुविधा, सक्षम दूरसंचार नेटवर्क, परिवहन और भण्डारण सुविधाएं, सांझा अपशिष्ट शोधन संयंत्र और औद्योगिक और पेय जल आपूर्ति जैसी सुविधाएं होंगी ।

यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जगह की पहचान करें ।

- एकीकृत नगर क्षेत्रों के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरकारी अनुमति के निर्णय से, नगर क्षेत्रों और बिजली, जल आपूर्ति, दूरसंचार इत्यादि जैसी प्रमुख औद्योगिक अवसरचक्रात्मक सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने को बढ़ावा मिलेगा ।
- पंजीकरण, वित्तपोषण और औद्योगिक विनियामक उपायों के लिए एकल विंडो व्यवस्था ।
- रा.रा.क्षे. में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों की औद्योगिक नीति निर्धारण में विद्यमान, अवसरचक्रात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए नई इकाइयों को उदार प्रोत्साहन दिए जाएं ।

बॉक्स 5.5

विशेष आर्थिक जोन

मुख्य विशेषताएं

विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) विशिष्टतः एक रेखांकित ड्यूटी कर रहित है और इसे व्यापार संचालन; करों और प्रशुल्क के उद्देश्यों के लिए विदेशी क्षेत्र मान लिया जाएगा।

डी.टी.ए. से एस.ई.जेड. में जाने वाले सामानों को निर्यात और वहां से डी.टी.ए. में आने वाले सामान को आयातित माल के रूप में माना जाएगा ।

एस.ई.जेड. की इकाइयां माल तैयार करने और सेवा, उत्पादन, प्रक्रमण, संग्रहण, व्यापारिक, मरम्मत, पुनःबनाना, रिकंडीशनिंग, रीइंजीनियरिंग के लिए स्थापित की जाएंगी जिसमें सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरों और इससे संबंधित सामग्री का निर्माण किया जाएगा ।

Multi-storeyed flatted factories

Multi-storeyed flatted factory complexes should be constructed to save space and to have better management of services.

Common advertisement for relocating non-conforming units

Common advertisements indicating the sites available in Delhi, along with sites available in NCR towns, should be published for relocating non-conforming units ordered to be shifted by the Supreme Court so as to give entrepreneurs varied options for relocation. Similar concessions as being given for their relocation in Delhi should be given for other towns also.

B) Rest of NCR excluding NCT-Delhi

Suggested locations

Industry

The Central NCR towns and the Regional Centres, selected in the Regional Plan for induced development, have been envisaged to play a significant role and would have a strong industrial content. Besides this, the Sub-regional Centres, which would be identified in the Sub-regional Plans, prepared by the respective State Governments, will also serve as the first stage industrial centres.

The strategy to develop may entail following elements:

- These locations to be developed as model industrial areas/Special Economic Zones (SEZs) [refer Box 5.5] equipped with facilities such as uninterrupted power supply, efficient telecommunications network, transportation and warehousing facilities, common effluent treatment plants and industrial and potable water supply.

It is suggested that the State Governments may consider identifying locations, at least one SEZ in each State.

- The decision of the Government to allow Foreign Direct Investment in the development of integrated townships would go a long way in attracting private sector participation in the development of townships and key industrial infrastructure facilities like power, water supply, telecommunications etc.
- Establishment of a single window system of registration, financing and industrial regulatory measures.
- In order to encourage industries to be located in NCR, liberal incentives for creation of infrastructure facilities be given to new units as provided in the industrial policy framework of the States.

Box 5.5

SPECIAL ECONOMIC ZONES

Salient Features

Special Economic Zone (SEZ) is a specifically delineated duty free enclave and shall be deemed to be foreign territory for the purposes of trade operations and duties and tariffs.

Goods going into the SEZ area from Domestic Tariff Area (DTA) shall be treated as deemed exports and goods coming from the SEZ area into DTA shall be treated as if the goods are being imported.

SEZ units may be set up for manufacture of goods and rendering of services, production, processing, assembling, trading, repair, remaking, reconditioning, reengineering including making of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof or in connection therewith.

एस.ई.जेड. कृषि उत्पादों, अंशतः प्रसंस्कृत जेवरात, उप-संग्रहण और उपकरणों के सामानों और सेवाओं का निर्यात कर सकेगा। यह अपने बाई-प्रोडक्ट्स, रिजेक्ट्स और उत्पादन प्रक्रिया के कबाड़ का निर्यात भी कर सकेगा।

एस.ई.जेड. भारी मशीनरी सहित हर तरह के माल का बिना किसी शुल्क के आयात कर सकेगा, जैसा कि नीति में परिभाषित किया गया है, चाहे वह नई हो अथवा पुरानी, जैसा भी इसे अपनी गतिविधियों के लिए चाहिए बशर्ते वह आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची (आई.टी.सी.एच.एस.) में न हो। इन इकाईयों को भारी मशीनरी सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए माल निःशुल्क अथवा ग्राहक से उधार, आयात की अनुमति होगी।

एस.ई.जेड. की इकाईयों को इसके द्वारा वांछित सामान, डीटीए में नीति के तहत गठित अनुबंध भण्डारण से निःशुल्क प्राप्त होगा।

एस.ई.जेड., साफ्टवेयर विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा सृजित करने के लिए सभी तरह के सामान का निःशुल्क आयात कर सकता है। इस साफ्टवेयर के निर्यात के लिए डी.टी.ए. की इकाईयों को भी लिया जा सकता है।

नामांकित अभिकरणों के जरिये जवाहरात और आभूषण तथा आभूषण की इकाईयां, चांदी/सोना/प्लेटिनम का आयात कर सकती है।

एस.ई.जेड. इस क्षेत्र में इकाईयां स्थापित करने के लिए, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित शर्तों के अधीन डी.टी.ए. से विनिर्दिष्ट सामानों पर, निःशुल्क आयात उपलब्ध कर सकते हैं।

थोक व्यापार

रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड द्वारा कराये गए एक अध्ययन में, थोक व्यापार की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे वस्तुओं का प्रवाह, प्रवाह की दिशा, व्यापार संपर्क, परिवहन के प्रकार, व्यापार की प्राथमिकता इत्यादि के आधार पर एन.सी.टी.-दिल्ली के सात प्रमुख वस्तु समूहों के लिए निम्नलिखित स्थान सुझाये गये हैं (बाक्स 5.6)।

बॉक्स 5.6

थोक व्यापार-सुझाये गये स्थान

खाद्यान्न	पानीपत, हापुड़ और कोण्डली (उप-क्षेत्र स्तर पर)
फल और सब्जियां	पानीपत (सेब और सब्जियों के लिए); हापुड़ (आलू और प्याज); कोण्डली (आम और सब्जियां)
टैक्सटाइल और रेडीमेड कपड़े	मेरठ और रोहतक
लोह और इस्पात	गाजियाबाद, फरीदाबाद/गुड़गांव
आटो पूर्ज़	फरीदाबाद
ईंधन तेल	रेवाड़ी
हार्डवेयर और निर्माण सामग्री	हार्डवेयर के लिए गाजियाबाद, निर्माण सामग्री के लिए अलवर, धारूहेड़ा या भिवाड़ी

उपरोक्त वस्तुओं के लिए थोक बाजारों का विकास राज्य सरकारों की संबंधित अभिकरणों द्वारा 'संयुक्त उद्यम' परियोजना के तौर पर किया जा सकता है और इन वस्तुओं को 'विशिष्ट वस्तु अधिनियम' के अन्तर्गत घोषित किया जा सकता है जैसा कि विभिन्न क्षेत्रीय माल-भाड़ा (फ्रेट) परिसरों में 'संस्थानीय यंत्रावली' शीर्ष के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है।

5.6 अनौपचारिक क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न नगरों में बहुत बड़ी संख्या में अनौपचारिक गतिविधियाँ और उद्यम देखने को मिलते हैं, जो जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को स्व-रोजगार के बहुत अधिक अवसर प्रदान करने के साथ-साथ सस्ती वस्तुओं और सेवाओं का भी उत्पादन करते हैं। इस असंगठित क्षेत्र को शहरी मानवीय गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाने लगा है, जो कि इन नगरों और सम्पूर्ण क्षेत्र की प्रगति और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है।

इसमें से कुछ गतिविधियाँ काफी लम्बे अरसे से चली आ रही हैं और विशिष्टता और निर्यात के दृष्टिकोण से इनकी अच्छी पहचान बनी हुई है (बाक्स 5.7)।

SEZ units may export goods and services including agro-products, partly processed jewellery, sub-assemblies and component. It may also export by-products, rejects and waste scrap arising out of the production process.

SEZ unit may import without payment of duty all types of goods, including capital goods, as defined in the Policy, whether new or second hand, required by it for its activities or in connection therewith, provided they are not prohibited items of imports in the ITC (HS). The units shall also be permitted to import goods required for the approved activity, including capital goods, free of cost or on loan from clients.

SEZ units may procure goods required by it without payment of duty, from bonded warehouses in the DTA set up under the Policy.

SEZ units may import, without payment of duty, all types of goods for creating a central facility for software development can also be accessed by units in the DTA for export of software.

Gems & Jewellery and Jewellery units may also source gold/silver/platinum through the nominated agencies.

SEZ units may also import/procure from DTA specified goods without payment of duty and subject to such conditions, as may be notified by the Government, for setting up of units in the Zone.

Wholesale Trade

In a study commissioned by the NCR Planning Board, based on various factors affecting location of wholesale trade such as volume of commodity flow, direction of flow, trade linkages, mode of transport, preferences of traders etc., locations have been suggested for seven major commodity groups being handled in NCT-Delhi (refer Box 5.6).

Box 5.6

WHOLESALE TRADE-SUGGESTED LOCATIONS

Food grains	Panipat, Hapur and Kundli (Sub-regional level)
Fruit and Vegetables	Panipat (for apples and vegetables); Hapur (for potato and onion); Kundli (mango and vegetables)
Textiles and Readymade Garments	Meerut and Rohtak
Iron and Steel	Ghaziabad, Faridabad/Gurgaon
Auto Parts	Faridabad
Fuel Oils	Rewari
Hardware and Building materials	For hardware-Ghaziabad; For building material-Alwar, Dharuhera or Bhiwadi

Alternative wholesale markets for the above commodities could be developed by the concerned agencies of the State Governments as 'joint venture' projects and also declaring these commodities under the 'Specified Commodities Act' as explained under the head 'Institutional Machinery' at various Regional Freight Complexes.

5.6 INFORMAL SECTOR

There is a sizeable presence of informal sector activities and enterprises in various towns in the National Capital Region, which produce comparatively inexpensive wage goods and services while providing abundant opportunities for self-employment to a large section of population. This unorganized sector has come to be recognized as an important segment of urban human activity which is making positive contributions to the growth and economic development of these towns and, through them, to the entire region.

Some of these activities are being carried out since long and are also well recognised from the point of view of specialisation and export potentials (refer Box 5.7).

बॉक्स 5.7**अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियाँ**

अलवर	: इंजीनियरिंग और धातु कार्य, चमड़े का काम, मूर्तिकारी, कालीन की बुनाई और मिट्टी के बर्तन
मेरठ	: हथकरघा, खेलकूद का सामान, कैंची और ब्लेड उद्योग
खुर्जा	: मिट्टी के बर्तन और सेरामिक्स
पानीपत	: हथकरघा उद्योग
रेवाड़ी	: तांबे के काम
मेवात	: मिट्टी के बर्तन

अतः यह आवश्यक है कि, इस अनौपचारिक क्षेत्र के सभी पहलुओं पर विचार किया जाये और इससे जुड़े लोगों के लिए आवास, कार्य-स्थल, सामाजिक सुविधाएं, वित्तीय सहायता के रूप में उनकी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए रणनीतियाँ तैयार की जाएं ताकि सहज रूप में उनकी प्रगति हो सके और साथ ही, बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए उनके कौशल और उद्यमशीलता को जुटाया जा सके।

रा.रा.क्षे. के नगरों और एन.सी.टी.-दिल्ली में 'साप्ताहिक बाजार' के रूप में परम्परागत किस्म की खुदरा खरीदारी काफी लोकप्रिय है। इन बाजारों की कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है जो कि उनके लिए पार्किंग और अन्य खुले स्थान देकर किया जा सकता है। कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों के पास, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, परिवहन नोडों आदि के पास व्यवस्थित अनौपचारिक सेक्टर स्थान प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में फेरी वालों की भूमिका को भी पूरा महत्व दिये जाने की जरूरत है। इसके लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए जिससे एक सहायक एवं अनुकूल वातावरण तैयार हो ताकि लोग अपनी रोजी-रोटी कमा सकें, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थानों और गलियों की साफ-सफाई बरकरार रहे और किसी प्रकार की भीड़-भाड़ न हो।

रा.रा.क्षे. के त्वरित विकास कार्यनीति के अन्तर्गत प्रवृत्त जनसंख्या वृद्धि और आय अर्जन के एक बड़े भाग पर अनौपचारिक क्षेत्र का हाथ होगा। अतः जहाँ तक सम्भव हो, इस अनौपचारिक क्षेत्र को योजनाबद्ध शहरी विकास और एकीकृत नगर क्षेत्रों के आर्थिक विकास, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास नीति का मुख्य बिन्दु है, के दायरे में लाने का प्रयास किया जाना है।

5.7 संस्थागत व्यवस्था

हरेक मामले के समयबद्ध कार्यान्वयन के संयुक्त कार्य को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को गठित करने के संबंध में यह महसूस किया गया है कि ऐसा रचनातंत्र तभी विकसित किया जा सकता है जबकि प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तृत समयबद्ध प्रकार्यात्मक (फन्कशलन) योजना तैयार की जाए। हालांकि, यह रचनातंत्र हरेक मामले के लिए अलग-अलग होगा।

सामान्यतः यह महसूस किया गया है कि वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखकर बनाई गई व्यवस्था सहायक हो सकती है:

- i. ऐसा दिशा निर्देश, जो 'निर्यात प्राधिकरण' (अर्थात् दिल्ली प्रशासन) और आयात प्राधिकरण (अर्थात् संबंधित राज्य सरकार) के बीच 'इस हाथ ले, उस हाथ दे' का संबंध स्थापित करें। इसमें इन प्राधिकरणों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन और रियायतें शामिल होंगी और यह स्पष्ट होगा कि किसे क्या करना है। यह सांविधिक प्रावधानों के एवज में बोर्ड के प्रस्तावों के रूप में भी हो सकता है, जैसा कि इंग्लैण्ड में नगर विकास अधिनियम, 1952 में किया गया है।
- ii. एन.सी.टी.-दिल्ली के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए कोर आर्थिक गतिविधियों जैसे औद्योगिक इलाके, थोक बाजार, वाणिज्यिक परिसर इत्यादि संयुक्त उद्यम परियोजनाएं एन.सी.टी.-दिल्ली की विकास अभिकरणों और भागीदारी राज्य के समतुल्य के बीच साझेदारी आधार पर गठित की जानी चाहिए।

Box 5.7**INFORMAL SECTOR ACTIVITIES**

Alwar	: Engineering and metal work, leather work, murtikari, carpet weaving and pottery
Meerut	: Handloom, sports goods and scissors and blades industry
Khurja	: Pottery and ceramics
Panipat	: Handloom industry
Rewari	: Brassware
Mewat	: Potteries

It is, therefore, necessary to address the informal sector in all its ramifications and evolve appropriate strategies to cater to the basic needs of its constituents population by way of shelter, workplace, social amenities and financial support so as to facilitate their growth and, at the same time, mobilize their skills and entrepreneurship for the benefit of the society at large.

The traditional type of retail shopping in the form of 'Weekly Market' is quite popular in the towns of NCR and NCT-Delhi. The functioning of these markets need to be improved by providing parking and other open spaces. There is also a need to provide organized informal sector places, to be located strategically near work centres, commercial areas, near schools, colleges, hospitals, transport nodes etc. The role played by the street vendors in the economy as also in the society needs to be given due credit. The policy should be to provide and promote a supportive environment for earning livelihoods, as well as ensure absence of congestion and maintenance of hygiene in public places and streets.

Under the strategy for accelerated development of NCR, the informal sector would be poised to claim a large share of the induced population growth and income generation. An attempt, therefore, is to be made to absorb the informal sector, as far as possible, particularly within the fabric of planned urban development and economic growth of the integrated townships which are at the core of the envisaged development strategy for NCR.

5.7 INSTITUTIONAL MECHANISM

As regards the setting up of institutional mechanism to ensure joint action for timely implementation in each and every case, it is felt that such a mechanism could only be worked out when detailed time-bound functional plans for different sectors of the core economic activities are prepared. This mechanism will, however, differ from case to case.

In general, it was felt that a mechanism consisting of a mix of the following may help to achieve the required objectives:

- i. Guidelines, which establish 'give and take' relationship between the 'exporting authority' (i.e., Delhi Administration) and the receiving authority (i.e., concerned State Government). This will include package of incentives and concessions offered by these authorities and who is to do what. This can be in the form of resolution of the Board in lieu of statutory provisions as done in United Kingdom in the form of the Town Development Act, 1952.
- ii. To ensure optimal linkages with NCT-Delhi in the development of the core economic activities such as industrial estates, wholesale markets, commercial complexes etc., joint venture projects could be set up on partnership basis between the development agencies of NCT-Delhi and their counterpart in the participating States.

- iii. रा.रा.क्षे. शहरों के थोक वितरण व्यापार के विकेन्द्रीकरण के लिए एक "विशिष्ट वस्तु विपणन अधिनियम" बनाया जाना चाहिए ।

आबादी और वाणिज्यिक गतिविधियों की तीव्र वृद्धि के साथ ही, भीड़भाड़ और इसके कारण यातायात और अन्य समस्याएं पुरानी दिल्ली में बाहरी और आंतरिक रिंग रोड के साथ और दिल्ली में प्रवेश कर ही प्रमुख गलियों में भीड़भाड़ के कारण थोक व्यापार को दिल्ली के बाहर ले जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, विशेषतः पीवीसी सामानों, रसायनों, लकड़ी, खाद्यान्न, लोह व इस्पात, निर्माण सामग्री और खतरनाक वस्तुओं को के.रा.रा.क्षे. और रा.रा.क्षे. के प्राथमिकता वाले शहरों में ले जाया जाए ।

चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक अन्तर्राज्यीय क्षेत्र है, अतः, एन.सी.टी.-दिल्ली की सरकार को इन बाजारों को रा.रा.क्षे. शहरों में पुनर्स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाने के बारे में उपलब्ध नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । अतः यह आवश्यक है, कि बाजार क्षेत्र की अवस्थिति को विनियमित करने और थोक बाजार के संबंध में विधि द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं और विभिन्न बाजार क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के लिए स्थापित विभिन्न बाजारों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए बाजार समितियां स्थापित करने के लिए एक नियम अधिनियमित किया जाए ।

वस्तु विशिष्ट विपणन अधिनियम, कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, जो कि कुछ कृषि उत्पादों के थोक बाजारों को स्थानान्तरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, की तर्ज पर बनेगा ।

- iv. राज्य सरकारों के विभिन्न विकास अभिकरणों द्वारा आक्रामक विपणन ('दे और ले' संबंध से उत्पन्न लाभों के परिदृश्य में) ।

5.8 उच्चतम न्यायालय के आदेश

इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से आयी, जिसने कुछ औद्योगिक इकाईयों को बन्द करने के आदेश दिए और उनसे राजधानी से बाहर चले जाने को कहा क्योंकि कानून के अन्तर्गत उन्हें यहाँ इजाजत नहीं है । इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली महा योजना के प्रावधानों को नोट किया जिसमें ऐसे सभी इकाईयों को 1991 में महा योजना की अधिसूचना के एक वर्ष के अन्दर अपने पुनर्वास योजना को प्रस्तुत करने को कहा गया था और अगले दो वर्षों में रा.रा.क्षे. में स्थानान्तरित हो जाना था । न्यायालय ने रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 और क्षेत्रीय योजना-2001, के उपबंधों को भी नोट किया (बाक्स 5.8) ।

बॉक्स 5.8			
उच्चतम न्यायालय के आदेश			
क्र.सं.	आदेश की तारीख	स्थानान्तरित/बन्द किये जाने वाले उद्योग	बन्द किए जाने की तारीख
1.	08.07.96	168 उद्योग	30.11.96
2.	06.09.96	513 उद्योग	31.01.97
3.	10.10.96	43 हाट मिक्स प्लांट्स	28.02.97
4.	26.11.96	246 ईट के भट्टे	30.06.97
5.	26.11.96	21 आर्क/इन्डक्शन फरनेस	31.03.97
6.	19.12.96	337 उद्योग	30.06.97
निर्देश			
i)	भूखण्डों का आबंटन, फैक्टरी भवनों का निर्माण, इत्यादि और कोई लाइसेंस/अनुमति इत्यादि शीघ्र दी जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा ।		
ii)	उद्योगों को दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए, रा.रा.क्षे. में शामिल चारों राज्य, भागीदारी में राज्यों को मिलाकर एक एकीकृत एकल अभिकरण बनाएंगे जो ऐसे उद्योगों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक नोडल अभिकरण के तौर पर कार्य करेगी ।		
iii)	चारों राज्यों द्वारा एक एकल विंडो सुविधा गठित की जाएगी ।		

- iii. Evolving a common “Specified Commodities Marketing Act” to enable the dispersal of wholesale distributive trades to the NCR towns.

With the fast growth of population and commercial activities, the congestion and consequent traffic and other problems particularly in old Delhi along the outer and inner Ring Roads and the main arteries leading to Delhi, the necessity of relocating wholesale markets is increasingly felt, specially of those that involve bulk handling of commodities such as PVC goods, chemicals, timber, food grains, iron and steel, building material and hazardous in nature, to CNCR and Priority Towns in NCR.

Since NCR is an inter-state region, there is no provision of law available to enable the Government of NCT of Delhi (GNCTD) to take appropriate steps for relocating such markets in NCR towns. It is, therefore, necessary to enact a law to regulate the location of market areas and wholesale markets in respect of commodities specified from time to time under such law and to establish market committees to manage and control different markets established for different commodities in different areas.

The Specified Commodities Market Act would be on the lines of Agricultural Produce Marketing Act, enacted to shift wholesale markets for some of the agricultural produce. This Act will be operative in entire NCR.

- iv. Aggressive marketing by the various development agencies of the State Governments (in the light of benefits accruing out of ‘give and take’ relationship).

5.8 SUPREME COURT ORDERS

A major thrust in this direction came from the Honourable Supreme Court, which has issued orders for the closure of certain industrial units and asked them to move out of the Capital as they are not permitted under the law. In this context, the Supreme Court took note of the provisions of the Delhi Master Plan which asked all such units to give their relocation plan within one year of the notification of the Master Plan in 1991 and shift thereafter in the next two years to NCR. It also took note of the provisions of the NCR Planning Board Act, 1985 and the Regional Plan-2001 (refer Box 5.8).

Box 5.8			
SUPREME COURT ORDERS			
S. No.	Order Dates	Industries to be Shifted/ Closed Down	Closing Date
1.	08.07.96	168 Industries	30.11.96
2.	06.09.96	513 Industries	31.01.97
3.	10.10.96	43 Hotmix Plants	28.02.97
4.	26.11.96	246 Brick Kilns	30.06.97
5.	26.11.96	21 Arc/Induction Furnaces	31.03.97
6.	19.12.96	337 Industries	30.06.97
Directives			
i) The allotment of plots, construction of factory buildings, etc. and issuance of any licenses/permissions etc. shall be expedited and granted on priority basis.			
ii) In order to facilitate shifting of industries from Delhi, all the four States constituting the NCR shall set up a Unified Single Agency consisting of all the participating states to act as a Nodal Agency to sort out all the problems of such industries.			
iii) The single window facility shall be set up by the four states.			

iv) उद्योगों को पुनः स्थापित/स्थानान्तरित किए जाने के कारण जो भूमि उपलब्ध होगी, उसका उपयोग निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :			
क्र. सं.	विस्तार	हरित पट्टी और अन्य समूहों को विकसित करने के लिए दि.वि.प्रा. को सौंपने और समर्पित किए जाने वाली भूमि का प्रतिशत	महा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मालिक द्वारा अपने लाभ के लिए उपयोग में लायी जाने और विकसित की जाने वाली भूमि का प्रतिशत
1.	2000 वर्गमीटर तक (बड़े प्लॉट में पहले 2000 वर्ग मीटर सहित)	--	100% मालिक द्वारा मुख्य योजना के क्षेत्र विनियमों के अनुसार विकसित किए जाने के लिए
2.	02 से 5 हैक्टेयर	57	43
3.	5 से 10 हैक्टेयर	65	35
4.	10 हैक्टेयर से ज्यादा	68	32
<p>कालम 4 में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार, क्रम सं0 2, 3 और 4 के मालिक अपनी-अपनी भूमि के प्रतिशत पर महा योजना के अधीन अनुज्ञेय एफ.ए.आर. के डेढ़ गुणा के हकदार होंगे ।</p> <p>v) स्थानान्तरित हो चुके उद्योगों को नई औद्योगिक इलाकों में पुनः स्थापित होने पर उन्हें महा योजना के प्रावधानों की शर्तों पर प्रोत्साहन मिलेगा और वे सभी प्रोत्साहन भी मिलेंगे जो नई औद्योगिक इलाकों में नये उद्योगों को सामान्यतः दिए जाते हैं ।</p> <p>इसके अलावा न्यायालय ने इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की हकदारियों, अधिकारों और लाभों (प्रतिपूर्ति, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान) के बारे में भी निदेश जारी किए।</p> <p>जहाँ तक 12.09.2000 तक के अस्वीकारात्मक उद्योगों का सवाल है, न्यायालय ने शहरी विकास मंत्रालय को एक नोडल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया और मंत्रालय को निदेश दिया कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों और महा योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक कक्ष का सृजन करे । शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने, न्यायालय के निदेश पर, 19.09.2000 को एक कक्ष का सृजन किया । नोडल अभिकरण ने समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं ।</p> <p>माननीय उच्चतम न्यायालय ने 07.05.2004 को दिये अपने निर्णय में, निम्नलिखित निर्देश दिये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 1 अगस्त 1990 को या उनके बाद दिल्ली के आवासीय/गैर-अनुमोदित क्षेत्रों में अस्तित्व में आए सभी औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी और निम्नलिखित समयसूची के अनुसार काम करना बन्द कर देंगी:- <ul style="list-style-type: none"> क) विस्तीर्ण उद्योगों ('एफ' श्रेणी) से संबंधित औद्योगिक इकाइयां चार महीने की अवधि के भीतर । ख) हल्के और सेवा उद्योगों से संबंधित औद्योगिक इकाइयां (श्रेणी 'बी' से 'एफ' तक) पाँच महीने के भीतर । ग) अनुज्ञेय घरेलू उद्योग (श्रेणी 'ए') छह माह के भीतर । घ) औद्योगिक भूखण्डों के आर्बंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में 6,000 औद्योगिक इकाइयां 18 महीने के भीतर । केन्द्रीय सरकार को श्रेणी 'ए' में आने वाले अनुज्ञेय घरेलू उद्योगों की सूची को तीन महीने की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप देना है । प्रतीक्षा-सूची में 6,000 औद्योगिक इकाइयों को एक वर्ष के भीतर औद्योगिक भूखण्ड आर्बंटित किये जाएंगे । दिल्ली सरकार छह सप्ताह के भीतर एक नीति की घोषणा करेगी जिसके अन्तर्गत वह एक अगस्त 1990 के बाद स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अपने विवेक से ठीक और उचित प्रोत्साहन देगी और इस आदेश में निर्धारित समय की समाप्ति से पहले ही स्वयं ही ये इकाइयां बंद हो जाएंगी । सरकार द्वारा प्रोत्साहनों की घोषणा न करने की वजह से इन इकाइयों को बन्द करने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी । बन्दी की निर्धारित तिथि के बाद काम करते पाई गई औद्योगिक इकाइयों के बिजली और पानी के कनेक्शन तत्काल काट दिये जाएंगे और यह किसी भी हाल में उपयुक्त निर्देश संख्या 1 में बन्दी के लिए निर्धारित तारीख के एक महीने से अधिक न हो । यदि औद्योगिक गतिविधियां फिर भी चल रही हैं तो इनके परिसर इस समय के अंदर और अगले महीने से पहले सील कर दिए जाएंगे । केन्द्रीय सरकार को उद्योग द्वारा बताई गई रूकावटों को दूर करके औद्योगिक गतिविधि के लिए रा.रा.क्षे. को सफल बनाने के लिए छह महीने के भीतर उचित कदम उठाने हैं । इससे जुड़ी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इसमें अपना पूरा सहयोग देंगी । दिल्ली नगर निगम छूट संबंधी अधिसूचना को वापस लेने के पहलू पर तीन महीने के भीतर विचार करेगा, जैसा कि इसके नगर नियोजक द्वारा 28 अक्टूबर 2002 के दायर शपथ-पत्र में सुझाया गया । माननीय न्यायालय ने एक निगरानी समिति नियुक्त की जिसमें (i) दिल्ली के मुख्य सचिव, (ii) पुलिस आयुक्त (दिल्ली), (iii) आयुक्त (दिल्ली दिल्ली नगर निगम), और (iv) उपाध्यक्ष (दिल्ली विकास प्राधिकरण) होंगे । यह समिति अनाधिकृत औद्योगिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार होगी। तथापि, उपरोक्त निगरानी समिति के सदस्य अपने अधीनस्थ जिम्मेदार अधिकारियों को इस निर्णय में समाविष्ट निर्देशों का पर्यवेक्षण करने व अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये नियुक्त कर सकते हैं । समिति द्वारा पहली प्रगति रिपोर्ट 31 अगस्त 2004 तक प्रस्तुत की जानी होगी तदुपरान्त यह प्रत्येक दो माह की अवधि में कम से कम एक बार प्रस्तुत की जायेगी । 			

iv) The use of the land which would become available on account of shifting/relocation of the industries shall be permitted in the following manner:

S. No.	Extent	Percentage to be surrendered and dedicated to the DDA for development of greenbelts and other spaces	Percentage to be developed by the owner for his own benefit in accordance with the use permitted under the Master Plan
1.	Upto 2000 square metres. (including the first 2000 square metres of the larger plot)	--	100% to be developed by the owner in accordance with the zoning regulations of the Master Plan.
2.	02. to 5 ha.	57	43
3.	5 ha. to 10 ha.	65	35
4.	Over 10 ha.	68	32

On the percentage of land as shown in Column 4 the owners at S. No. 2, 3 and 4 shall be entitled to one and half time of the permissible FAR under the Master Plan.

v) The shifting industries on their relocation in the new industrial estates shall be given incentives in terms of the provisions of the Master Plan and also the incentives which are normally extended to new industries in new industrial estates.

Besides this the Court also issued directives for the entitlement of the rights and benefits (payment of compensation, gratuity etc.) for the workmen employed in these industries.

As regards non-conforming industries on 12.09.2000, the Court appointed the Ministry of Urban Development to act as a Nodal Agency and directed the Ministry to create a Cell to see to the implementation of various orders passed by this court as well as the implementation of the Master Plan. The Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, as per directions of the Court, created a Cell on 19.09.2000. The Nodal Agency in the process had issued various directions from time to time.

In its judgement dated 07.05.2004, the Hon'ble Supreme Court issued following directions:

1. All the Industrial Units that have come up in Residential/non-confirming areas in Delhi on or after 1st August 1990 shall close down and stop operating as per following schedule:
 - a) Industrial Units pertaining to extensive industries ('F' category) within a period of four months.
 - b) Industrial Units pertaining to light and service industries (category 'B' to 'F') within five months.
 - c) Impermissible household industries (category 'A') within six months.
 - d) 6,000 industrial units on waiting list for allotment of industrial plots within 18 months.
2. The Central Government to finalize the list of permissible household industries falling in category 'A' within a period of three months.
3. 6,000 industrial units on waiting list shall be allotted industrial plots within one year.
4. The Delhi Government may announce a policy within six weeks giving such incentives as it may deem fit and proper to those industrial units which came to be established after 1st August 1990 and may close down on their own before the expiry of the time fixed in this order. The non-announcement of incentives by the Government shall not, however, delay the closure process.
5. The water and electricity connection of the industrial units found operating after due date of closure shall be disconnected forthwith and in any case not later than a month of the date fixed for closure in Direction No. 1 above. If the industrial activity still continues, the premises shall be sealed within a period of not later than another one month.
6. The Central Government to finalise within six months appropriate steps to be taken for making NCR a success for industrial activity by removing the hurdles pointed out by the industry. The Governments of the adjoining States Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh to extend full cooperation.
7. The Municipal Corporation of Delhi shall consider within three months the aspect of withdrawal of exemption notification as suggested in the affidavit of its Town Planner filed on 28th October 2002.
8. The Honourable Court appointed a Monitoring Committee comprising (i) Chief Secretary of Delhi, (ii) Commissioner of Police (Delhi) (iii) Commissioner (Municipal Corporation of Delhi) and (iv) Vice-Chairman (Delhi Development Authority). This Committee would be responsible for stoppage of illegal industrial activity. It would, however, be open to the aforesaid members of the Monitoring Committee to appoint responsible officers subordinate to them to oversee and ensure compliance of the directions contained in the judgement.
9. The first Progress Report by the Committee shall be filed by 31st August 2004 and thereafter it shall be filed at least once in a period of every two months.

5.9 राजकोषीय नीति

5.9.1 मुद्दे

रा.रा.क्षे. के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक वर्तमान कर ढांचा है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दरों में एकरूपता की कमी और इसके घटक राज्यों में प्रोत्साहनों जैसे टैक्स हालीडे इत्यादि से व्यापार और निर्माण गतिविधियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण होता रहता है। अनेक मंचों पर यह तर्क जोरदार ढंग से उठाया गया है कि जहाँ राज्यों के बीच कर के बारे में एक सीमा तक एकरूपता है वहीं पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में कर की प्रभावी दरें काफी कम हैं। यह तर्क दिया जाता रहा है कि कर दरों में कमी और कम शुल्क के साथ बेहतर सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना दिल्ली में मौजूद होने के कारण यहाँ उद्योग, व्यापार और सेवाओं के संकेन्द्रित होने की प्रक्रिया में विगत में मदद मिली है।

5.9.2 कर सुधार

मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के 16 नवम्बर 1999 को आयोजित सम्मेलन की सिफारिशों से इस दिशा में काफी प्रयत्न हुए हैं, जहाँ यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के लिए न्यूनतम कर आधार स्वीकृत किया जाना चाहिए। फ्लोर रेटों के अनुसार अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर दर शून्य, आवश्यक वस्तुओं पर चार प्रतिशत और विलास सामग्री पर 12% है। सामान्य श्रेणी की वस्तुओं पर आठ प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया। दो विशेष कर दरें सोने व चांदी पर एक प्रतिशत और शराब और तम्बाकू पर 20% की कर दरें लगायी गयीं। प्रस्तावित दरें न्यूनतम दरें हैं - राज्य इस सूची की किन्हीं भी वस्तुओं पर उच्चतर कर दरें लगाने को स्वतंत्र हैं पर वे इससे कमतर नहीं कर सकते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भागीदारी राज्यों अर्थात् एन.सी.टी.-दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों ने न्यूनतम दरों के निर्णय को कार्यान्वित कर दिया है। सम्मेलन में उद्योगों के लिए बिक्री कर पर आधारित किसी भी नए प्रोत्साहन को दिया जाना बंद करने पर सहमति बनी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-2006 के बजट में राज्य स्तर पर 'वेट' प्रणाली लागू किया जाना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकरूपता लाने में प्रभावी होगा।

5.9 FISCAL POLICY

5.9.1 Issues

One of the main problems confronting the development of NCR is the existing tax structure. The lack of uniformity in tax rates for various commodities and services and incentives like tax holidays etc. in the constituent States has been causing diversion of trade and manufacturing activity from one state to another. It has been strongly argued at various forums that whereas there is a reasonable amount of uniformity in tax among the States, the effective rates of tax is substantially lower in Delhi than in the neighbouring States. It is being argued that these differentials in tax rates, with the added advantage of availability of better social and physical infrastructure and with lower tariff in Delhi, have helped the process of concentration of industry, trade and services etc. in Delhi in the past.

5.9.2 Tax Reforms

A major thrust in this direction has come from the recommendations of the Conference of the Chief Ministers and Finance Ministers held on 16th November 1999 wherein a decision for adoption of minimum floor level of taxes at the national level, for all the States, was taken. Regarding floor rates, there was a broad category of absolute necessities, which were tax exempt; essential commodities with a floor rate of four per cent and luxury items with a floor rate of 12%. Commodities falling in general category were put under a floor rate of eight per cent. There were two special floor rates of one per cent for gold and silver bullion and 20% for liquor and tobacco etc. The rates recommended relate to minimum floor rates-the States have the freedom to adopt higher rates on any of the commodities from the list but they cannot go below these rates. Most States, including the participating States of NCR viz., NCT-Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, have implemented the decision to adopt minimum floor rates. The Conference also unanimously resolved that the offer of grant of any new incentive based on sales tax for industries shall be discontinued.

The introduction of State level VAT by Government of India in the budget 2005-2006 is likely to go a long way in achieving uniformity in NCR.